

## अध्याय-IV

### नगर विकास एवं आवास विभाग

#### 4.1 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

##### कार्यकारी सारांश

शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.) शहरी योजना की कई गतिविधियाँ जैसे जलापूर्ति, साफ-सफाई, मलिन बस्तियों का उन्नयन तथा अन्य आधारभूत संरचना के रखरखाव एवं संधारण के लिए उत्तरदायी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड में 24 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। यद्यपि राज्य में राष्ट्रीय औसत (31 प्रतिशत) की तुलना में कम शहरीकरण है फिर भी पिछले दशक में शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि (32.3 प्रतिशत) देखी गयी है। लेकिन शहरीकरण की तुलना में आधारभूत ढाँचे और सेवाओं से संबंधित क्रियाकलाप जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि में प्रगति नहीं हुई फलतः निवासियों को प्राप्त सुविधाएँ अपर्याप्त थीं। कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा नीचे की गयी है:

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.अ.प्र.) और मल जल के लिए निर्धारित सेवा स्तर मानदंड नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकी क्योंकि चार जलापूर्ति परियोजनाओं पर चार नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा ₹ 583.47 करोड़ खर्च किये जाने के बावजूद भी लक्षित 306 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका जबकि चार नमूना जाँचित श.स्था.नि. में ठो.अ.प्र. की ₹ 146.29 करोड़ की परियोजनाएँ भूमि की अनुपलब्धता के कारण एवं ₹ 28.47 करोड़ खर्च करने के बाद बीच में ही रोक दी गयी। आगे किसी भी नमूना जाँचित श.स्था.नि. ने मल जल नेटवर्क का निर्माण नहीं किया जबकि नमूना जाँचित 10 में से नौ श.स्था.नि. में 60 प्रतिशत नालियाँ खुली तथा कचड़े से भरी हुई थी।

##### (कंडिका 4.1.6.5, 4.1.8, 4.1.10.2 एवं 4.1.11.1)

चार नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करने में असफल रहने के कारण कम से कम 22.67 लाख निवासियों की जलापूर्ति प्रभावित हुई। नमूना जाँचित श.स्था.नि. में कुल मकानों का केवल 29 प्रतिशत में पाईप द्वारा जलापूर्ति की पहुँच थी जबकि जलापूर्ति में आवश्यकता से 9 से 99 प्रतिशत की कमी थी। आगे, नमूना जाँचित 10 में से सात श.स्था.नि. में प्रति व्यक्ति जलापूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल.पी.सी.डी.) मापदंड के विरुद्ध 10 से 110 एल.पी.सी.डी. के बीच थी तथा नमूना जाँचित 10 में से 7 श.स्था.नि. में आवासीय जल संयोजन के लिए मीटर स्थापित नहीं किया गया था। जलापूर्ति की अवधि आवश्यक 24 घंटे प्रतिदिन के विरुद्ध प्रति सप्ताह एक घंटा से प्रति दिन 12 घंटे के बीच थी।

##### (कंडिका 4.1.6.5, 4.1.8, 4.1.9.1, 4.1.9.2 एवं 4.1.9.3)

राँची के अनुमोदित मास्टर प्लान में हटिया, गोंदा तथा रुक्का बांध को आपस में जोड़कर राजधानी जिला में जलापूर्ति आसान करने का दावा किया गया है। हालाँकि बांधों को जोड़ने के बजाय रुक्का जलाशय को दो अन्य बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों से जोड़ा गया है। फलतः, शहर के कई हिस्सों में विशेषकर हटिया डैम क्षेत्र में अनियमित जलापूर्ति के अलावा हटिया डैम से जलापूर्ति में कटौती निर्बाध जारी रखा गया था।

##### (कंडिका 4.1.8.1)

हालाँकि जलापूर्ति के लिये संचालन एवं रख-रखाव (ओ.एम.) लागत जल उपभोक्ता शुल्क से पूरा किया जाना था, चार नमूना जाँचित श.स्था.नि. बकाया जल उपभोक्ता शुल्क ₹ 37.22 करोड़ उपभोक्ताओं से वसूल करने में विफल रहे जिसके कारण केवल 29 प्रतिशत ओ.एम. लागत को प्राप्त किया जा सका। राज्य सरकार को प्रतिवर्ष, गैर राजस्व जल की 20 प्रतिशत के मानदंड सीमा के विरुद्ध ₹ 10.50 करोड़ का नुकसान हुआ।

**(कंडिका 4.1.9.5 एवं 4.1.9.6)**

नमूना जाँचित किसी भी श.स्था.नि. में मल जल नेटवर्क नहीं था, भूमिगत या पाइप युक्त सीवर प्रणाली के अभाव में 175.09 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल खुले नालियों में प्रवाहित किया जा रहा था जो आस-पास के जल संरचना को प्रदूषित कर रहा था। नमूना जाँचित श.स्था.नि. में, 100 प्रतिशत के मानदंड के विरुद्ध, केवल 23 प्रतिशत से 72 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा थी।

**(कंडिका 4.1.6.5 एवं 4.1.10.2)**

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण, उपचार एवं सुरक्षित निपटान की कमी थी क्योंकि इन्हें पूरा करने का ठो.अ.प्र. की परियोजना पूर्ण नहीं थी। नमूना जाँचित 10 में से आठ श.स्था.नि. में मकान ठो.अ.प्र. सेवाओं के अधीन नहीं थे जबकि नमूना जाँचित छः श.स्था.नि. में अपशिष्ट संग्रहण का क्षेत्र 39 एवं 90 प्रतिशत के बीच था। नौ चयनित श.स्था.नि. में भूमि भराव स्थल अनुपलब्ध थे तथा कचड़ा रिहायशी क्षेत्रों तथा नदी के किनारों के नजदीक फेंक दिया जाता था।

**(कंडिका 4.1.6.5, 4.1.11.2 एवं 4.1.11.5)**

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में पर्यवेक्षी/सफाईकर्मि संवर्ग में मानव बल की कमी 21 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच थी। कचरा निपटान वाहन की उपलब्धता ठो.अ.प्र. मैनुअल में विहित आवश्यकता का केवल 0.43 प्रतिशत से 5.81 प्रतिशत तक था जिसने शहर की सफाई को प्रभावित किया और पर्यावरण तथा निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न किया।

**(कंडिका 4.1.12)**

#### 4.1.1 परिचय


74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (सं.सं.अधि.) निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) के विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों को विस्तारित करता है। संविधान में परिकल्पित है कि श.स्था.नि. पारंपरिक भूमिका से हटकर शहरों में सभी तरह के नागरिक सेवाओं, विकास और पर्यावरण के सभी पहलुओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.अ.प्र.) श.स्था.नि. का मुख्य कार्य है। इन जिम्मेवारियों को कुशलतापूर्वक करने के लिए समुचित संस्थागत संरचना, शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, संसाधनों की पर्याप्तता, राज्य सरकार का सहयोग और श.स्था.नि. तंत्र के विभिन्न हिस्सों में क्षमताओं का निर्माण करने के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

#### 4.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

नगर विकास और आवास विभाग (न.वि. और आ.वि.), झारखण्ड सरकार (झा.स.) शहरों, नगरों और कस्बों की निगरानी और नियोजित विकास की सुविधा के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग राज्य के श.स्था.नि. और विकास अभिकरणों पर प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करता है।

नगर निगमों, नगरपालिकाएँ और अधिसूचित क्षेत्र समिति (अधि.क्षे.स.) का कार्य प्रशासक और विशेष पदाधिकारी द्वारा प्रशासित होता है जबकि श.स्था.नि. के विधायी ढाँचा में महापौर/अध्यक्ष, उपमहापौर/उपाध्यक्ष होते हैं जिन्हें स्थायी समिति सहायता करती है जैसा कि चार्ट-4.1.1 में दर्शाया गया है:

#### चार्ट-4.1.1: स्थानीय स्वशासन के प्रकार



#### 4.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

- श.स्था.नि. जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य स्व-शासन संस्थाओं के रूप में कर रहे थे;
- श.स्था.नि., शहरी विकास मंत्रालय (श.वि.मं), भारत सरकार (भा.स.) द्वारा निर्धारित सेवा स्तर मानदंड (एस.एल.बी.) को पूरा कर रहे थे;
- एस.एल.बी. को प्राप्त करने के लिए जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लिया गया था; और
- जलापूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपभोक्ता शुल्क अधिरोपण, संग्रहण और लेखाकरण के लिये उचित व्यवस्था की गयी थी।

#### 4.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्न स्रोतों से लिये गये थे:

- झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम (झा.न.अधि.) 2011, झारखण्ड नगरपालिका लेखा मैनुअल (झा.न.ले.मै.), 2012 और उसके अधीन बनाये गये प्रावधान;
- झारखण्ड सरकार (झा.स.) और भारत सरकार (भा.स.) द्वारा जारी परिपत्र, अधिसूचना, संकल्प, उपनियम और अन्य निर्देश;
- केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (के.सा.स्वा.प.इं.सं.) की जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल जल निकासी पद्धति मैनुअल; और
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000

#### 4.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

वर्ष 2011-16 की अवधि के लिए "श.स्था.नि. द्वारा जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रबंधन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 और अगस्त 2016 के दौरान किया गया। लेखापरीक्षा ने प्रोवेविलिटी प्रोपोर्शनल टू साईज विदाउट रिप्लेसमेंट विधि के आधार पर न.वि. और आ.वि. और दस चयनित श.स्था.नि.<sup>1</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा की। साथ ही झारखण्ड शहरी बुनियादी ढाँचा विकास कंपनी (जुडको) और संबन्धित श.स्था.नि. के जिला में स्थित पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल (पे.ज. एवं स्व.प्र.) जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पे.ज. एवं स्व.वि.) के अधीन है, के अभिलेखों की भी जाँच की गयी।

शहर में जलापूर्ति और स्वच्छता के अन्य नागरिक सेवाओं की प्रभावशीलता पर प्रतिक्रिया जानने के लिए, लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित श.स्था.नि. के निवासियों अथवा उपभोक्ताओं का एक लाभुक सर्वेक्षण भी किया। निवासियों की प्रतिक्रिया साक्षात्कार, अखबार के माध्यम से पर्चे वितरित कर और हमारे सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की गयी प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त किया गया था। कुल 741<sup>2</sup> मकान इकाईयों ने अपनी प्रतिक्रिया दी जिसे इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), झारखण्ड के साथ 22 अप्रैल 2016 को एक प्रवेश सम्मेलन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र, पद्धति और मापदंड पर चर्चा की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए विभाग के संयुक्त सचिव के साथ 2 मार्च 2017 को एक निकास सम्मेलन किया गया। विभाग द्वारा दिये गये जवाब को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

#### लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

#### 4.1.6 योजना

झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 329 (1) में प्रावधानित है कि नगरपालिका या तो स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से सुरक्षित जलापूर्ति, कम लागत स्वच्छता, पर्यावरण की दृष्टि से सशक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विषाक्त कचड़ा संग्रहण और निपटान, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और वसूली, आदि के लिए कार्य करेगा।

आगे, झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 380 (2) (बी) श.स्था.नि. को जलापूर्ति, मल जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.अ.प्र.) सहित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए अधिकृत करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा वांछित योजनाएँ तैयार नहीं की गयी थी जैसा की नीचे चर्चा किया गया है:

#### 4.1.6.1 उचित योजना का अभाव

श.स्था.नि. द्वारा सार्वजनिक सेवाओं जैसे पेयजल, मल जल और ठो.अ.प्र. प्रदान किया जाना है जो सभी के लिए सुलभ होना चाहिए ताकि शहरी विकास मंत्रालय (श.वि.मं.)

<sup>1</sup> चास नगर निगम, देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, गढ़वा नगर परिषद्, जमशेदपुर अ.क्ष.स., मानगो अ.क्ष.स., मधुपुर नगर परिषद, मेदिनीनगर नगर परिषद, राँची नगर निगम, साहिबगंज नगर परिषद

<sup>2</sup> 590 मकान में साक्षात्कार के द्वारा, 140 पर्चे वितरित कर और 11 सरकारी वेबसाइट के माध्यम से

नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा वार्षिक विकास योजना और भावी पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं किया गया था

द्वारा 2008-09 में जारी किये गये सेवा स्तर मानदंड (एस.एल.बी.) प्राप्त किये जा सकें। एस.एल.बी. को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना अमल में लाया जाना चाहिए।

आगे, झा.न. अधिनियम, 2011 के अनुसार सभी श.स्था.नि., नगर पालिका क्षेत्र के लिए आगामी वर्ष के लिये वार्ड समितियों द्वारा समर्पित किये गये विकास योजनाओं को समेकित कर एक वार्षिक विकास योजना (वा.वि.यो.) तैयार किया जाना वांछित है। इस प्रकार तैयार वा.वि.यो. जिला योजना समिति (जि.यो.स.) को समर्पित किया जाएगा। पुनः, श.स्था.नि. विकास के लिए एक भावी पंचवर्षीय योजना भी जि.यो.स. को समर्पित करने के लिए तैयार करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित 10 में से आठ<sup>3</sup> श.स्था.नि. में वार्ड समितियों का गठन नहीं हुआ था और इस प्रकार वार्ड स्तर पर विकास योजना तैयार नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, संबन्धित श.स्था.नि. ने वा.वि.यो. के साथ भावी पंचवर्षीय योजना भी तैयार नहीं किया था। इस प्रकार, नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया जा सका था।

योजना के अभाव में, जलापूर्ति, स्वच्छता, मल जल निकासी और ठो.अ.प्र. के कार्य न.वि. और आ.वि. के द्वारा, साझेदारों जैसे असैनिक समाज, पार्षदों और प्रस्तावित सेवाओं का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को शामिल किये बिना, अनुशंसित किये जा रहे थे।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि मानव बल की कमी के कारण श.स्था.नि. में योजनाएं तैयार नहीं की जा सकी।

#### 4.1.6.2 मास्टर प्लान तैयार किया जाना

झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 404 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका को मुहल्ला, वार्ड, मार्ग और मार्गों के भाग, जो आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक तथा कृषि कार्यों के प्रयोजनों के लिए आरक्षित हों, शामिल कर एक मास्टर प्लान तैयार करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित आठ श.स्था.नि. में से राँची<sup>4</sup> को छोड़कर किसी ने भी अंतिम रूप से अपना संबंधित मास्टर प्लान फ़रवरी 2017 तक तैयार नहीं किया है। हालाँकि, छः<sup>5</sup> नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा मार्च 2007 और अगस्त 2013 के बीच मास्टर प्लान बनाने के लिए ₹ 1.97 करोड़ खर्च किया गया था। आगे, चास का मास्टर प्लान न.वि. और आ.वि. के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि परामर्शी एकरारनामा के शर्तों के अनुसार इसे तैयार करने में असफल रहा। इस प्रकार चास के मास्टर प्लान को बनाने में ₹ 1.26 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

इस प्रकार, धारणा और प्रचालन दोनों रूप से योजनाबद्ध तरीके से शहरों का विकास विनियमित करने के लिए मास्टर प्लान के होने का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

<sup>3</sup> जमशेदपुर एवं मानगो में चुनाव नहीं हुए थे।

<sup>4</sup> नवम्बर 2015 में अनुमोदित

<sup>5</sup> देवघर- ₹ 66.87 लाख, गढ़वा- ₹ 2.45 लाख, जमशेदपुर- ₹ 1.20 करोड़, मधुपुर- ₹ 2.32 लाख, मेदिनीनगर- ₹ 3.86 लाख एवं साहिबगंज - ₹ 1.85 लाख

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि 14 शहरों का मास्टर प्लान म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और बाकी शहरों द्वारा उनका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा था।

#### 4.1.6.3 स्वच्छता योजना

न तो न.वि. एवं आ.वि. ने राज्य स्वच्छता रणनीति बनायी और न ही नमूना जाँचित श.स्था.नि. ने सी.एस.पी. तैयार किया

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (एन.यु.एस.पी.) 2008 के अनुसार, न.वि. एवं आ.वि. स्वच्छता रणनीति बनाने के लिए उत्तरदायी है तथा विश्वस्तरीय सुरक्षित एवं स्वस्थ तरीके से सफाई-व्यवस्था, सभी शहरी आबादी के लिए शौचालय की सुविधा, ठोस एवं तरल अपशिष्ट के शत प्रतिशत सुरक्षित संग्रहण, उपचार एवं वैज्ञानिक तरीके से इनके निपटान हेतु शहरों को शहरी स्वच्छता योजना तैयार करना है। आगे, सार्वजनिक अवसंरचना, पर्यावरण परिणामों, सेवा वितरण मानकों को निर्धारित करने, शहरी निवासियों को न्यूनतम स्तर की स्वच्छता प्रदान करने इत्यादि की योजना बनाने तथा वित्त प्रदान करने के लिए राज्य स्वच्छता नीति श.स्था.नि. को उत्तरदायी बनाता है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि फरवरी 2017 तक न तो न.वि. एवं आ.वि. द्वारा राज्य स्वच्छता रणनीति तैयार की गयी थी, न ही नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा सी.एस.पी. तैयार की गई थी। फलस्वरूप, नमूना जाँचित श.स्था.नि. ने मल जल नेटवर्क की व्यवस्था नगर निकाय क्षेत्र में नहीं की, ठो.अ.प्र. सेवाओं तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान को लागू नहीं किया, सिर्फ 23 से 72 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा प्रदान की गयी (परिशिष्ट-4.1.1)।

इसके अतिरिक्त भारत के 73 प्रमुख शहरों में स्वच्छता के वर्तमान स्थिति पर किये गये सर्वेक्षण प्रतिवेदन<sup>6</sup> (फ़रवरी 2016) के अनुसार नागरिकों को स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने में जमशेदपुर 66वाँ, राँची 62वाँ तथा धनबाद 73वाँ स्थान पर था।

इस प्रकार सी.एस.पी. के अभाव में नमूना जाँचित श.स्था.नि. बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यावरण तैयार करने में काफी हद तक असफल रहे।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) के तहत सी.एस.पी. तथा राज्य स्वच्छता रणनीति तैयार किये जा रहे थे।

#### 4.1.6.4 ठो.अ.प्र. परियोजना का कार्यान्वयन

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2000 के अनुसार ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भण्डारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं इसके वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए आधारभूत संरचना के विकास हेतु 31 दिसम्बर 2003 की समय सीमा निर्धारित की गयी थी।

हालाँकि, तय समय सीमा से तीन वर्ष से अधिक (दिसम्बर 2003) बीत जाने के बाद ठो.अ.प्र. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ को राज्य योजना के अन्तर्गत चार<sup>7</sup> नमूना जाँचित श.स्था.नि. के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) तैयार करने हेतु नियुक्त किया

<sup>6</sup> श.वि.मं., भा.स. द्वारा आयोजित

<sup>7</sup> देवघर, गढ़वा, मधुपुर एवं साहिबगंज



(फरवरी 2007) जबकि शेष पाँच<sup>8</sup> नमूना जाँचित श.स्था.नि. में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन (जे.एन.एन.यु.आर.एम.) के अंतर्गत वि.प.प्र. तैयार किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि चार नमूना जाँचित श.स्था.नि. में फरवरी 2017 तक वि.प.प्र. को अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि शेष पाँच श.स्था.नि. में जे.एन.एन.यु.आर.एम. के तहत तैयार किये गये वि.प.प्र. को भारत सरकार द्वारा 2007 एवं 2010 के बीच अनुमोदित कर दिया गया था। हालाँकि, किसी भी नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा, अपशिष्ट के निपटान एवं उपचार हेतु भूमि उपलब्ध कराने में असफल रहने के कारण किसी भी श.स्था.नि. में ठो.अ.प्र. हेतु, फरवरी 2017 तक आधारभूत संरचना विकसित नहीं किया जा सका।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा कहा कि नगर निगम, धनबाद द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) से 39 एकड़ जमीन हासिल कर लिया गया है तथा अन्य श.स्था.नि. में भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। तथ्य यह है कि यद्यपि ठो.अ.प्र., जिसे दिसम्बर 2003 तक स्थापित होना अनिवार्य था, फरवरी 2017 तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

#### 4.1.6.5 सेवा स्तर मानदंड (एस.एल.बी.)

श.वि.मं., भा.स. ने बुनियादी शहरी सेवाओं जैसे जलापूर्ति, ठो.अ.प्र., मल जल और वर्षा पानी की निकासी के लिये एस.एल.बी. विकसित किया है जो इन सेवाओं, जो राज्य और श.स्था.नि. को एक स्तरीय ढाँचा प्रदान करने के लिए सहमत लक्ष्य के विरुद्ध, निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम करेगा। पुनः, तेरहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च) में आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रस्तावित इन सेवा क्षेत्रों के सेवा मानकों को प्राप्त करने के लिये अधिसूचित करेगा या सभी श.स्था.नि. को अधिसूचित करने को कहेगा।

हालाँकि, राज्य सरकार ने सेवा मानकों को केवल तीन वर्षों 2011-14 के लिए अधिसूचित किया था और उसके बाद इसे राज्य सरकार या नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, सेवा मानकों को अधिसूचित नहीं किया जाना सेवा प्रदान करने को प्रभावित किया और एस.एल.बी. को प्राप्त नहीं किया जा सका (परिशिष्ट-4.1.1)।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि वर्ष 2017-18 के लिए फरवरी 2017 में एस.एल.बी. अधिसूचित किया गया।

#### 4.1.7 वित्तीय प्रबंधन

##### 4.1.7.1 जलापूर्ति, स्वच्छता एवं ठो.अ.प्र. के लिए निधियों का अल्प आवंटन

शहरी जलापूर्ति, सफाई, मल जल निकासी तथा ठो.अ.प्र. लोगों के जीवन के गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादक क्षमता में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकताएँ हैं।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि न.वि. एवं आ.वि. ने 2011-16 में राज्य के श.स्था.नि. को योजना शीर्ष से ₹ 3017.13 करोड़ तथा गैर योजना शीर्ष (वेतन इत्यादि) से

<sup>8</sup> चास, धनबाद, जमशेदपुर (मानगो अ.क्षे.स. सहित), मेदिनीनगर एवं राँची

₹ 847.32 करोड़ विमुक्त किया। इसमें से ₹ 755.97 करोड़ (25 प्रतिशत) जलापूर्ति, स्वच्छता एवं ठो.अ.प्र. के लिए योजना शीर्ष में विमुक्त किया गया जबकि गैर योजना शीर्ष में ₹ 37.91 करोड़ (4.47 प्रतिशत) जलापूर्ति एवं स्वच्छता मद में आवंटित किया गया जैसा कि तालिका-4.1.1 में दर्शाया गया है:

**तालिका-4.1.1: राज्य में श.स्था.नि. को जलापूर्ति, स्वच्छता, मल जल निकासी एवं ठो.अ.प्र. में आवंटित निधि**

क्र. सं.	सेवाएं	2011-16 में आवंटित निधि (₹ करोड़ में)		आवंटन की प्रतिशतता	
		योजना शीर्ष	गैर योजना शीर्ष	योजना शीर्ष	गैर योजना शीर्ष
1	जलापूर्ति	495.47	37.91	17	4.47
2	स्वच्छता	42.00		1	
3	मल जल निकासी	156.00	शून्य	5	-
4	ठो.अ.प्र.	62.50	शून्य	2	-
	<b>कुल</b>	<b>755.97</b>	<b>37.91</b>	<b>25</b>	<b>4.47</b>

(स्रोत: न.वि. एवं आ.वि. द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा)

तालिका-4.1.1 से यह स्पष्ट है कि 2011-16 के दौरान योजना शीर्ष के अधीन कुल आवंटित निधि का 17 प्रतिशत जलापूर्ति के लिए उपबंधित था जबकि स्वच्छता के साथ मल जल निकासी के लिए छः प्रतिशत निधि उपबंधित था। ठो.अ.प्र. सेवाओं के लिए आवंटन कुल योजना आवंटन का मात्र दो प्रतिशत था। विभाग द्वारा अपर्याप्त आवंटन का श.स्था.नि. द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि, नमूना जाँचित 10 श.स्था.नि. में किसी में मल जल निकासी नेटवर्क नहीं बनाया गया था जबकि नमूना जाँचित दस में से आठ श.स्था.नि. में ठो.अ.प्र. सेवा उपलब्ध नहीं था। आगे श.स्था.नि. द्वारा इन सेवाओं को प्रदान करने पर कुल व्यय का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था।

दस नमूना जाँचित श.स्था.नि. में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2011-16 के दौरान जलापूर्ति, स्वच्छता के साथ मल जल निकासी एवं ठो.अ.प्र. पर कुल उपलब्ध निधि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत बहुत कम था जिसे निम्न तालिका-4.1.2 में दर्शाया गया है:

**तालिका-4.1.2: नमूना जाँचित श.स्था.नि. में उपलब्ध निधि के विरुद्ध जलापूर्ति, स्वच्छता एवं ठो.अ.प्र. पर व्यय**

(₹ करोड़ में)

अवधि	प्रारंभिक शेष <sup>9</sup>	प्राप्ति	उपलब्ध निधि*	व्यय (उपलब्ध निधि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत)			
				जलापूर्ति	स्वच्छता	मल जल निकासी	ठो.अ.प्र.
2011-12	270.50	237.22	507.72	38.30 (8)	14.68 (3)	1.34 (0.3)	0.62 (0.1)
2012-13	310.61	322.28	632.89	66.06 (10)	19.88 (3)	3.60 (0.6)	0.73 (0.1)
2013-14	397.42	314.76	712.18	34.26 (5)	7.06 (1)	4.31 (0.6)	7.00 (1)
2014-15	470.19	492.13	962.32	50.16 (5)	11.02 (1)	11.47(1.2)	0.48 (0.1)
2015-16	559.60	900.81	1460.41	84.07 (6)	36.24 (2)	3.71 (0.3)	शून्य
<b>कुल</b>		<b>2267.20</b>	<b>2537.70<sup>10</sup></b>	<b>272.85 (11)</b>	<b>88.88 (4)</b>	<b>24.43 (1)</b>	<b>8.83 (0.4)</b>

(स्रोत: श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

\*प्रारंभिक शेष, अनुदान, ऋण एवं स्वयं स्रोत से आय सहित।

<sup>9</sup> निधि का प्रारंभिक शेष

<sup>10</sup> प्रारंभिक शेष ₹ 270.50 करोड़ तथा कुल प्राप्ति ₹ 2267.20 करोड़ शामिल



**तालिका-4.1.2** से यह स्पष्ट है कि नमूना जाँचित श.स्था.नि. ने वर्ष 2011-16 में शहरी आबादी को नागरिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु कुल उपलब्ध निधि का मात्र पाँच प्रतिशत से दस प्रतिशत जलापूर्ति पर, एक प्रतिशत से तीन प्रतिशत स्वच्छता पर, दो प्रतिशत से कम मल जल निकासी तथा ठो.अ.प्र. पर व्यय किया। श.स्था.नि. में इस तरह के महत्वपूर्ण नागरिक आधारभूत ढाँचे पर कम व्यय करने का कोई कारण अभिलेख में नहीं पाया गया।

पुनः भारतीय शहरी आधारभूत संरचना एवं सेवाओं द्वारा जलापूर्ति, मल जल निकासी तथा ठो.अ.प्र. पर पूंजीगत कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति निवेश का सिफारिश (2011) किया गया। 2011-16 के दौरान राज्य के सभी श.स्था.नि. में निवेश की गयी राशि को **तालिका-4.1.3** में दर्शाया गया है:

**तालिका-4.1.3: 2011-16 के दौरान श.स्था.नि. के द्वारा सेवाओं पर निवेश**

प्रक्षेत्र	प्रति व्यक्ति आवश्यक निवेश (राशि ₹ में)	शहरी क्षेत्र की आबादी (2011 जनगणना के अनुसार)	आवश्यक निवेश (₹ करोड़ में)	किया गया निवेश (₹ करोड़ में)			प्रति व्यक्ति किया गया निवेश (मानक के अनुसार प्रतिशत) (राशि ₹ में)
				जे.एन.एन.यू.आर.एम	राज्य योजना	कुल	
जलापूर्ति	5099	5517839	2813.55	308.17	495.47	803.64	1456.44 (29)
मल जल निकासी	4704		2595.59	75.56	156.00	231.56	419.66 (9)
ठो.अ.प्र.	391		215.75	8.91	62.50	71.41	129.42 (33)
<b>कुल</b>			<b>5624.89</b>	<b>392.64</b>	<b>713.97</b>	<b>1106.61</b>	

(स्रोत: वृ.राँ.वि.प्रा. एवं न.वि. एवं आ.वि. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

**तालिका-4.1.3** में यह देखा जा सकता है कि मूल सेवाओं में पूंजीगत कार्यों में प्रति व्यक्ति निवेश विहित मानदंड से काफी कम था जो नौ प्रतिशत से 33 प्रतिशत के बीच था परिणामस्वरूप नमूना जाँचित श.स्था.नि. एस.एल.बी. प्राप्त करने में असफल रहा जैसा कि कंडिका 4.1.6.5 में चर्चा किया गया है। इस प्रकार, लोगों के लिए एस.एल.बी. का वांछित स्तर प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा इन तीनों सेवा क्षेत्रों में अधिक निवेश की आवश्यकता है।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि पर्याप्त सावधानी बरतते हुए 2016-17 से पर्याप्त निधि विमुक्त किये जा रहे थे।

**4.1.7.2 शहरी गरीबों के मूलभूत सुविधाओं हेतु निधि का प्रावधान**

झा.न. अधिनियम 2011 के धारा 105 (3) के अनुसार सभी श.स्था.नि. को नगरपालिका बजट के अधीन निधि का कम से कम 25 प्रतिशत, झुग्गी-वासियों सहित शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएँ<sup>11</sup> (बी.एस.यु.पी.) प्रदान करने हेतु, कर्णांकित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2011-16 के दौरान नमूना जाँचित श.स्था.नि. को ₹ 125.65 करोड़ (कुल प्राप्ति ₹ 502.58 करोड़ का 25 प्रतिशत) बी.एस.यु.पी.<sup>12</sup> के लिए आवंटित करना था। जिसके विरुद्ध नमूना जाँचित 10 में से आठ श.स्था.नि. ने

<sup>11</sup> बुनियादी सुविधाओं में पूंजीगत तथा राजस्व लेखाओं के व्यय शामिल हैं जो जलापूर्ति, नाली, सिवेज, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, ठो.अ.प्र. आदि में प्रत्यक्ष रूप से किये गये हों।

<sup>12</sup> नगरपालिका का निजी स्रोत, केन्द्र तथा राज्य वित्त आयोग से आवंटन आदि।

बी.एस.यु.पी. हेतु निधि आवंटित नहीं किया (**परिशिष्ट-4.1.2**) जबकि राँची नगर निगम ने कुल निधि ₹ 61.96 करोड़ के विरुद्ध ₹ 20.97 लाख (0.34 प्रतिशत) आवंटित किया। हालाँकि, अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो ने कुल निधि ₹ 2.62 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2.20 करोड़ (84 प्रतिशत) आवंटित किया।

इस प्रकार, आठ श.स्था.नि. का बी.एस.यु.पी. हेतु निधि आवंटित करने में असफलता के कारण तथा एक श.स्था.नि. द्वारा निधि का अल्प आवंटन से शहरी गरीबों को नगरपालिका से प्राप्त होने वाली बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ा।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि श.स्था.नि. को बी.एस.यु.पी. हेतु निधि के सृजन हेतु निदेशित किया गया है।

#### 4.1.8 जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन

नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा श.स्था.नि. के माध्यम से पे.ज. एवं स्व.वि. को अंतरित निधि के आधार पर झारखण्ड में पे.ज. एवं स्व.वि. जलापूर्ति परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है। राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2013 में झारखण्ड शहरी बुनियादी संरचना विकास कंपनी लिमिटेड (जुडको) के गठन के बाद, सभी नये जलापूर्ति योजना, स्वच्छता के अधीन मल जल निकासी, ठो.अ.प्र. आदि का कार्यान्वयन इसके द्वारा किया जा रहा था जबकि 2013 से पहले के स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन पे.ज. एवं स्व.वि. द्वारा किया जा रहा था। श.स्था.नि. द्वारा घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल संयोजन उपलब्ध कराया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 10 में से आठ श.स्था.नि. में जनवरी 2006 और फरवरी 2013 के मध्य 370.50 मिलियन जल प्रतिदिन (एम.एल.डी.) क्षमता की जलापूर्ति सृजित करने के लिए ₹ 1018.59 करोड़ की लागत से पे.ज. एवं स्व.वि. के द्वारा आठ जलापूर्ति परियोजना के निर्माण का कार्य लिया गया था। परियोजना को जुलाई 2007 और अक्टूबर 2016 के दौरान पूर्ण किया जाना था। इसके विपरीत, चार<sup>13</sup> नमूना जाँचित श.स्था.नि. में 64.50 एम.एल.डी. क्षमता की जलापूर्ति योजना ₹ 184.13 करोड़ की लागत से परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि से छः वर्ष से अधिक की देरी से दिसम्बर 2013 एवं जून 2016 के बीच पूर्ण किया गया। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब से कम से कम 4.78<sup>14</sup> लाख निवासियों को जल उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ।

आगे, नमूना जाँचित चार<sup>15</sup> अन्य श.स्था.नि. में मार्च 2010 और फरवरी 2013 के दौरान ₹ 827.41 करोड़ की लागत की चार परियोजना जिसकी क्षमता 306 एम.एल.डी. थी जिसे अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2016 के दौरान पूर्ण किया जाना था उसे कार्य आरंभ करने से पूर्व भूमि अधिग्रहण में विफलता, संवेदक की लापरवाही, निधि का अभाव तथा संबंधित विभाग<sup>16</sup> से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका (फरवरी 2017)। इन अपूर्ण योजनाओं पर ₹ 583.47 करोड़ व्यय किया गया।

आठ जलापूर्ति परियोजनाओं में से चार परियोजनाएँ पूर्ण हो सकीं जबकि एक परियोजना इसकी स्वीकृति के तीन वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो सकी।

<sup>13</sup> चास, देवघर, जमशेदपुर एवं मानगो

<sup>14</sup> 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा मानक के आधार पर गणना किया गया

<sup>15</sup> धनबाद, गढ़वा, राँची एवं साहिबगंज

<sup>16</sup> राष्ट्रीय/राज्य उच्च पथ, रेलवे, रिंग रोड इत्यादि।

इसके अलावा, मधुपुर श.स्था.नि. में 48 एम.एल.डी. क्षमता सृजित करने की जलापूर्ति परियोजना जिसे सितम्बर 2013 में स्वीकृत किया गया था उसे फरवरी 2017 तक डी.पी.आर. को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण शुरू नहीं किया जा सका **(परिशिष्ट-4.1.3)**।

यदि 306 एम.एल.डी. क्षमता की इस चार जलापूर्ति परियोजना को पूर्ण कर चालू कर दिया गया होता तो कम से कम नगरपालिका क्षेत्र के 22.67 लाख<sup>17</sup> निवासियों को लाभ हुआ होता। अतः लोगों की स्वयं की व्यवस्था पर निर्भरता को कम नहीं किया जा सका ताकि भूमिगत जल के दोहन को कम किया जा सके जैसा कि कंडिका 4.1.9.2 में चर्चा की गयी है।

पुनः जलापूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किये गये सर्वेक्षण में 91 प्रतिशत<sup>18</sup> परिवारों ने जवाब दिया कि नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा उपलब्ध करवायी गयी जलापूर्ति की सुविधा संतोषप्रद नहीं थी।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. के द्वारा स्वीकार किया गया और कहा गया कि श.स्था.नि. की सभी योजनाओं को मार्च 2017 तक पूर्ण कर दिया जाएगा और अन्य दो श.स्था.नि. को यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करने के लिए निदेशित किया जाएगा।

नमूना जाँच किये गये श.स्था.नि. में तीन जलापूर्ति परियोजना का लेखापरीक्षा में विश्लेषण भी किया गया तथा उनके कार्यान्वयन में पायी गयी अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गयी है:

### **चास जलापूर्ति परियोजना**

चास जलापूर्ति परियोजना की तकनीकी स्वीकृति ₹ 50.26 करोड़ में ₹ 5.03 करोड़ की लागत से सवमर्ज वियर के निर्माण का प्रावधान किया गया था। हालाँकि पे.ज. एवं स्व.वि. के द्वारा मूल प्राक्कलन में असमाहित अतिरिक्त कार्य मद में किये गये कार्य के भुगतान के लिए ₹ 3.65 करोड़ का विचलन कर अनियमित भुगतान कर दिया गया। परिणामस्वरूप, जलापूर्ति योजना सवमर्ज वियर के निर्माण के बिना ही पूर्ण करा दिया गया जबकि यह अपस्ट्रीम जल के स्तर को नियंत्रित करने, प्रवाह के विचलन तथा जल के प्रवाह के मापी के लिए योजना का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकार चास जलापूर्ति योजना तकनीकी स्वीकृति का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण तकनीकी रूप में अक्षम रहा। इसके बावजूद संलिप्त अधिकारियों की कोई जवाबदेही तय नहीं की गयी।

निकास सम्मेलन में (2 मार्च 2017) संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा कि कार्रवाई की जाएगी।

### **राँची जलापूर्ति परियोजना**

₹ 234.71 करोड़ की राँची जलापूर्ति परियोजना प्रारंभ में एक संवेदक को सितम्बर 2012 तक पूर्ण करने के लिए आवंटित किया गया (मार्च 2010) था। हालाँकि कार्य की धीमी प्रगति के कारण ₹ 106.63 करोड़ का भुगतान करने के उपरांत जुलाई 2013 में

<sup>17</sup> गणना 135 एल.पी.सी.डी. प्रति व्यक्ति के सेवा मानक पर आधारित है।

<sup>18</sup> 535 उत्तरदाता में से 489

संविदा को विखंडित कर दिया गया। पुनः कार्य ₹ 290.44 करोड़<sup>19</sup> में 24 महीने में पूर्ण करने के लिए दूसरे संवेदक को आवंटित किया गया (अक्टूबर 2014)। हालाँकि कार्य को फरवरी 2017 तक पूर्ण नहीं किया जा सका। इस संदर्भ में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी -



राँची जलापूर्ति परियोजना

i) ₹ 4.71 करोड़ की लागत से पूर्व के संवेदक के द्वारा क्रय किया गया (दिसम्बर 2012 तथा मई 2013 के मध्य) विद्युत यांत्रिक उपकरण (ट्रान्सफॉर्मर-22, क्रेन-तीन, सॉफ्ट स्टार्टर-11) बेकार पड़ा रहा क्योंकि इन सभी उपकरणों को इनटेक वेल, जल-शोधन संयंत्र, शुद्धीकरण घर के निर्माण कार्य को पूर्ण किये बिना क्रय कर लिया गया था। इनमें से ₹ 29.87 लाख की लागत से क्रय किये गये पाँच स्टार्टर दूसरे संवेदक के द्वारा दोषपूर्ण पाये गये।

ii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों<sup>20</sup> के अनुसार गतिशीलता अग्रिम के भुगतान पर ब्याज देय होना चाहिए ताकि संवेदक के द्वारा अनुचित लाभ नहीं लिया जा सके। इसके विरुद्ध, पे.ज. एवं स्व.प्र. राँची के द्वारा संवेदक को ₹ 29.04 करोड़ ब्याज रहित गतिशीलता अग्रिम का अनियमित भुगतान कर दिया गया।

iii) अंडर ग्राउंड रिजर्वेयर (यू.जी.आर.) के निर्माण का कार्य लालगुटवा में लिया गया था। ₹ 28.66 लाख का निर्माण कार्य किये जाने के बाद एक रैयत के द्वारा निर्माण कार्य पर आपत्ति की गयी तथा स्वयं के भूमि होने का दावा करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की गयी। जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राँची के द्वारा ₹ 27.34 करोड़ क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की गई।

यद्यपि कार्यपालक अभियन्ता, पे.ज. एवं स्व.प्र. राँची के द्वारा यू.जी.आर. के निर्माण को एक नये स्थान सिमलिया में स्थानान्तरित करने की योजना बनायी गयी (अगस्त 2016)। इस प्रकार लालगुटवा में यू.जी.आर. के निर्माण पर व्यय किया गया ₹ 28.66 लाख व्यर्थ हो गया क्योंकि यू.जी.आर. निर्माण कार्य को 2012 में त्याग दिया गया। परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा कर चालू नहीं किया जा सका (फरवरी 2017)।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी।

### साहिबगंज जलापूर्ति परियोजना

₹ 50.64 करोड़ की प्राक्कलन की 18 एम.एल.डी. आपूर्ति के लिए साहिबगंज जलापूर्ति परियोजना मार्च 2013 तक पूर्ण करने के लिए ₹ 38.00 करोड़ में एक संवेदक को आवंटित किया गया (सितम्बर 2011)। परियोजना का उद्देश्य नगरपालिका क्षेत्र के सभी निवासियों को जलापूर्ति करना था। तथापि योजना को पूर्ण करने के लिए निर्धारित

<sup>19</sup> दर अनुमोदन में ₹ 26.10 करोड़, मात्रा का परिवर्तन ₹ 30.58 करोड़ तथा नये मर्दों को सम्मिलित करने के कारण ₹ 28 करोड़ की वृद्धि के कारण परियोजना लागत में ₹ 228.39 करोड़ से ₹ 373.06 करोड़ की वृद्धि हुई जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

<sup>20</sup> दिनांक 8 दिसम्बर 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं एन.यू/पी.ओ.एल./19 के तहत

समय सीमा से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने तथा ₹ 30.42 करोड़ व्यय करने के बावजूद इसे पूरा नहीं किया जा सका (फरवरी 2017)। परिणामस्वरूप शहर के निवासी अपनी पानी की जरूरत स्वयं के व्यवस्था तथा श.स्था.नि., साहिबगंज के जल टैंकर से पूरा करते हैं।

स्वीकृत डिजाइन के अनुसार ₹ 4.27 करोड़ की लागत से एक इनटेक जेटी के साथ साथ कोफर डैम का निर्माण गंगा नदी में किया जाना था। संवेदक ने कोफर डैम एवं इनटेक जेटी के लिए आर.सी.सी. पाईल वर्क का निर्माण करने के लिए ₹ 76.92 लाख<sup>21</sup> का भुगतान प्राप्त किया। तथापि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण कोफर डैम क्षतिग्रस्त हो गया (मई 2014) जिसके कारण संवेदक के द्वारा इनटेक जेटी का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया।

इसी बीच सचिव पे.ज. एवं स्व.वि. के द्वारा इनटेक जेटी के स्थान पर फ्लोटिंग बैराज के निर्माण का निर्णय लिया गया (जून 2015) क्योंकि नदी के प्रवाह की दिशा बदल जाने के कारण इनटेक जेटी के निर्माण का कोई उपयोग नहीं था।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण योजना, सुस्त कार्यान्वयन एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व आवश्यकता के निर्धारण में विफलता के कारण क्षतिग्रस्त कोफर डैम एवं आर.सी.सी पाईल वर्क पर ₹ 76.92 लाख का निरर्थक व्यय हुआ साथ ही साथ परियोजना को पूर्ण करने में असाधारण विलंब का कारण बना।

#### 4.1.8.1 राजधानी में जलापूर्ति

राँची में जलापूर्ति तीन बांधों यथा, हटिया, गोंदा और रुक्का जिनकी कुल जल क्षमता 246.83 एम.एल.डी. है, से की जाती है। राँची शहर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा हटिया और गोंदा बांधों में जल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण राज्य सरकार ने इन बांधों को एक बांध से दूसरे बांध में जल स्थानांतरित करने के लिए एक दूसरे बांधों को आपस में जोड़ने की योजना बनायी थी। सरकार ने एकांतर दिनों के लिए आपूर्ति को सीमित करके जलापूर्ति भी शुरू किया था (अक्टूबर 2015)।



रुक्का बांध (डिजाइन क्षमता-170.50 एम.एल.डी.)  
(14/03/2017)

न.वि. एवं आ.वि. द्वारा अनुमोदित अधिसूचना (नवंबर 2015) जो राज्य सरकार द्वारा राँची के मास्टर प्लान से संबंधित था, में यह उल्लेख किया गया है कि सभी तीनों

<sup>21</sup> कोफर डैम ₹ 25.64 लाख एवं आर.सी.सी पाईल वर्क ₹ 51.28 लाख





**कांके बांध (डिजाइन क्षमता-19.50 एम.एल.डी.) (19/03/2017)**

बांध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालाँकि, अभियंता-प्रमुख, पे.ज. एवं स्व.वि. ने कहा (20 मार्च 2017) कि ये बांध क्षेत्र के आसपास की आबादी में अपनी क्षमता और तकनीकी व्यवहार्यता के रूप में जुड़े हुए हैं। अभियंता प्रमुख ने आगे कहा कि रुक्का जलाशय, हटिया और गोंदा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रुक्का का जीवित भंडारण, हटिया और गोंदा क्षेत्रों की आंशिक माँग को पूरा कर सकता है। उत्तर से यह संकेत मिलता है कि मास्टर प्लान में रुक्का जलाशय जिसे हटिया और गोंदा के जलाशयों तक अंतर्संयोजन किया जाना था, उसे सिर्फ हटिया और गोंदा के आस पास के क्षेत्रों से ही जोड़ा गया था। इसके अलावा, अभियंता प्रमुख द्वारा गोंदा और हटिया जलाशयों की अंतर्संयोजन से संबंधित स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया था। इस प्रकार, दो अन्य बांधों के जलग्रहण क्षेत्र के साथ रुक्का जलाशय को जोड़ने के कारण राँची के निवासियों को जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बांधों के बीच में अंतर्संयोजन का उद्देश्य आंशिक रूप से ही पूरा किया जा सका, जबकि हटिया डैम से जल की कमी के कारण जलापूर्ति में कटौती जारी रखते हुए, अपर्याप्त जलापूर्ति, पर्याप्त दबाव के बिना ही अनियमित आपूर्ति मुख्य रूप से हटिया डैम क्षेत्र के साथ-साथ शहर के कई हिस्सों में जारी रखा गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि सरकार ने राँची शहरी जलापूर्ति योजना (आर.यू.डब्लू.एस.एस.) में जलापूर्ति के ऑनलाइन प्रबंधन के लिए स्वचालित तकनीकों जैसे पर्यवेक्षण नियंत्रण और डेटा विश्लेषण (स्काडा) आदि की शुरुआत नहीं की है। जब बांधों की अंतर्संयोजन की योजना बनायी गयी थी तो उस परिस्थिति में यह निवासियों को जलापूर्ति में अपर्याप्तता की समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रबंधन साबित होता।

रुक्का जलाशय, हटिया और गोंदा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रुक्का का जीवित भंडारण, हटिया और गोंदा क्षेत्रों की आंशिक माँग को पूरा कर सकता है। उत्तर से यह संकेत मिलता है कि मास्टर प्लान में रुक्का जलाशय जिसे हटिया और गोंदा के जलाशयों तक अंतर्संयोजन किया जाना था, उसे सिर्फ हटिया और गोंदा के आस पास के क्षेत्रों से ही जोड़ा गया था। इसके अलावा, अभियंता प्रमुख द्वारा गोंदा और हटिया जलाशयों की अंतर्संयोजन से संबंधित स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया था। इस प्रकार, दो अन्य बांधों के जलग्रहण क्षेत्र के साथ रुक्का जलाशय को जोड़ने के कारण राँची के निवासियों को जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बांधों के बीच में अंतर्संयोजन का उद्देश्य आंशिक रूप से ही पूरा किया जा सका, जबकि हटिया डैम से जल की कमी के कारण जलापूर्ति में कटौती जारी रखते हुए, अपर्याप्त जलापूर्ति, पर्याप्त दबाव के बिना ही अनियमित आपूर्ति मुख्य रूप से हटिया डैम क्षेत्र के साथ-साथ शहर के कई हिस्सों में जारी रखा गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि सरकार ने राँची शहरी जलापूर्ति योजना (आर.यू.डब्लू.एस.एस.) में जलापूर्ति के ऑनलाइन प्रबंधन के लिए स्वचालित तकनीकों जैसे पर्यवेक्षण नियंत्रण और डेटा विश्लेषण (स्काडा) आदि की शुरुआत नहीं की है। जब बांधों की अंतर्संयोजन की योजना बनायी गयी थी तो उस परिस्थिति में यह निवासियों को जलापूर्ति में अपर्याप्तता की समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रबंधन साबित होता।



**हटिया बांध (डिजाइन क्षमता-56.83 एम.एल.डी.) (14/03/2017)**

अभियंता प्रमुख ने कहा है कि स्काडा के पायलट परियोजना को हटिया क्षेत्र में शुरू किया गया है और आने वाले दिनों में अधिक क्षेत्रों को ऑनलाइन प्रबंधन और आर.यू.डब्लू.एस.एस. के नियंत्रण के लिए स्काडा के तहत कवर किया जाएगा। हालाँकि, इसे पूरे आर.यू.डब्लू.एस.एस. में लागू करने के लिए रोडमैप तैयार नहीं किया गया था (20 मार्च 2017)।

अभियंता प्रमुख ने कहा है कि स्काडा के पायलट परियोजना को हटिया क्षेत्र में शुरू किया गया है और आने वाले दिनों में अधिक क्षेत्रों को ऑनलाइन प्रबंधन और आर.यू.डब्लू.एस.एस. के नियंत्रण के लिए स्काडा के तहत कवर किया जाएगा। हालाँकि, इसे पूरे आर.यू.डब्लू.एस.एस. में लागू करने के लिए रोडमैप तैयार नहीं किया गया था (20 मार्च 2017)।

#### **4.1.9 जलापूर्ति सेवा**

श.वि.मं., भा.स. के द्वारा विकसित एस.एल.बी. मानकीकृत पैमानों के विरुद्ध तय लक्ष्य एवं मानदंड के उपयोग द्वारा सेवाओं के व्यवस्थित और निरंतर अनुश्रवण के लिए



नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा एस.एल.बी. को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यकता के विरुद्ध कम जलापूर्ति की जाती है तथा सभी मकानों को जल पाइप लाईन से संयोजित नहीं किया गया था

सक्षम बनाता है। एस.एल.बी. शहरी क्षेत्र के लोगों को शत-प्रतिशत जलापूर्ति संयोजन एवं नगरपालिका क्षेत्र में 135 एल.पी.सी.डी. जलापूर्ति विहित करता है।

न.वि. एवं आ.वि. के निर्णय (जून 2014) कि, 2017 तक सभी श.स्था.नि. के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र के प्रत्येक मकान को जलापूर्ति की सुविधा दी जाएगी, को बाद में बढ़ाकर वर्ष 2019 तक विस्तारित कर दिया गया।

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में लेखापरीक्षा ने पाया कि एस.एल.बी. को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यकता के विरुद्ध कम जलापूर्ति की जाती है तथा सभी मकानों को जल पाइप लाईन से संयोजित नहीं किया जा सका जैसा कि अनुगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

#### 4.1.9.1 पाइपयुक्त पानी की अल्प पहुँच

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में मार्च 2016 तक 5.71 लाख मकान थे। इनमें से केवल 1.66 लाख (29 प्रतिशत) मकान पाइपयुक्त जलापूर्ति से संयोजित थे (परिशिष्ट-4.1.4) जबकि कुल मकानों में से 4.05 लाख (71 प्रतिशत) मकान दैनिक आवश्यकताओं के लिए भूमिगत जल पर निर्भर थे। पाइपयुक्त जलापूर्ति की अधिकतम उपलब्धि 67 प्रतिशत देवघर में जबकि निम्नतम शून्य साहेबगंज में थी। परिणामस्वरूप नमूना जाँचित श.स्था.नि. में एस.एल.बी. की तुलना में सेवा की उपलब्धता में 33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की कमी पायी गयी थी। इस प्रकार पाइप से जलापूर्ति का विस्तार पर्याप्त नहीं था तथा श.वि.मं. के द्वारा निर्धारित मानदंड से काफी पीछे था।

आगे, गढ़वा में जल संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण जुलाई 2013 से घरों को नया जल संयोजन नहीं दिया जा सका।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि जलापूर्ति परियोजना के पूर्ण होने पर सभी घरों को पाइपयुक्त जलापूर्ति से जोड़ दिया जाएगा।

#### 4.1.9.2 अपर्याप्त जलापूर्ति

जल जीवन का मूल आधार है और मानव जीवन और विकास का आधार है। नगर पालिका जलापूर्ति तंत्र में शोधन, भंडारण, प्रेषण और वितरण की सुविधाएं शामिल हैं।

नमूना जाँचित 10 श.स्था.नि. के निवासियों को जलापूर्ति के एस.एल.बी. के मानकों को पूरा करने के लिए 508.27 एम.एल.डी.<sup>22</sup> की आवश्यकता थी, जबकि पे.ज. एवं स्व.वि. के मूल्यांकन के अनुसार पाइप लाइन द्वारा संयोजित घरों के लिये 371.22 एम.एल.डी. की आवश्यकता थी। जिसके विरुद्ध निवासियों को केवल 218.86 एम.एल.डी. जलापूर्ति की जा रही थी जिसके फलस्वरूप निवासियों को जनगणना के आधार पर निर्धारित आकलन से 289.40 एम.एल.डी. (57 प्रतिशत) और पे.ज. एवं स्व.वि. के आकलन से 152.36 एम.एल.डी. (41 प्रतिशत) कम जलापूर्ति किया जा रहा था (परिशिष्ट-4.1.5)।

कम जलापूर्ति का कारण, 306 एम.एल.डी. की चार जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करने में असफल रहना और 48 एम.एल.डी. की एक जलापूर्ति परियोजना सितंबर 2013 में स्वीकृत किये जाने के बावजूद भी फरवरी 2017 तक शुरू नहीं किया जाना था।

<sup>22</sup> जनसंख्या -3764972 × 135 एल.पी.सी.डी. = 508271220 लीटर = 508.27 एम.एल.डी.

पुनः, लेखापरीक्षा ने 535 निवासियों जिनके अपने परिसरों में पाइप जल संयोजन थे पर एक सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण में, 97 प्रतिशत<sup>23</sup> निवासियों ने बताया की जलापूर्ति की अवधि एक दिन में दो घंटे से कम होती थी जबकि 82 प्रतिशत<sup>24</sup> जलापूर्ति के दबाव से असंतुष्ट थे। आगे, 85 प्रतिशत<sup>25</sup> नागरिकों ने कहा की ग्रीष्म ऋतु के दौरान पर्याप्त जलापूर्ति नहीं की जाती थी।

इस प्रकार, पाइप से जलापूर्ति, जहां आपूर्ति पाइप लाइन के द्वारा प्रदान करना था, उपलब्ध कराने में और सेवा मानकों को पूरा करने में असफल रहने के कारण लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भूमिगत जल पर निर्भर थे जिसके परिणामस्वरूप शहरी जलस्तर का गिरने का खतरा था जैसा कि राँची के संबंध में देखा जा सकता है जहाँ 55 वार्डों में से 20 वार्ड को राँ.न.नि. द्वारा सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है।

ऊपर के विफलता के परिप्रेक्ष्य में जल के स्रोत के विकल्प को ध्यान में रख कर न.वि. एवं आ.वि. ने झारखण्ड भवन उपनियम, 2016 अधिसूचित किया (अप्रैल 2016) जिसमें जल संचयन प्रणाली, 300 वर्ग मीटर और उससे ऊपर के भूखंड पर, अनिवार्य किया गया था। झारखण्ड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) संशोधन नियम 2015 के अनुसार प्रत्येक गृह में जल संचयन प्रणाली अनिवार्य कर दिया गया अन्यथा मकान कर का डेढ़ गुना दंड आरोपित किया जाएगा। तथापि, किसी भी नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा जैसे भवनों/धृति जिसमें जल संचयन प्रणाली स्थापित नहीं थे पर दंड अधिरोपित नहीं किया गया था। इस प्रकार वर्षा जल का जलाशयों में पहुँचने से पहले ग्रहण एवं संचयन जो पेयजल के रूप में, पशुधन, सिंचाई आदि के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग हो सकता था, नहीं किया जा सका।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाएंगे। तथ्य यह है कि सरकार 57 प्रतिशत निवासियों को जल उपलब्ध कराने में अक्षम रही और उन्हें भूमिगत जल पर आश्रित रहने के लिये बाध्य किया गया।

#### 4.1.9.3 बिना मीटर का जल संयोजन

जल-मीटर उपभोक्ताओं को वितरित पानी की मात्रा के सटीक माप के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण है। यह, उचित शुल्क लगाने और जल वितरण का समुचित अनुश्रवण द्वारा जलापूर्ति की दक्षता बढ़ाने, की सुविधा देता है। एस.एल.बी. शत प्रतिशत मीटरयुक्त जलापूर्ति संयोजन विहित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित 10 में से सात श.स्था.नि. के 0.21 लाख मकानों में जहां पाइपयुक्त जल संयोजन दिया गया था, जल मीटर स्थापित नहीं किया गया था जबकि शेष तीन श.स्था.नि. (धनबाद के सिवाय) के 1.46 लाख मकानों जिसमें पाइप जल संयोजन दिया गया था, में से आंशिक रूप से मात्र 0.35 लाख मकानों में जल मीटर स्थापित किया गया था। इस प्रकार, कुल जल संयोजन प्राप्त 1.67 लाख मकानों में से 1.32 लाख मकानों (संयोजित मकानों का 79 प्रतिशत) में जल मीटर स्थापित नहीं किया गया था (परिशिष्ट-4.1.6)।

<sup>23</sup> 192 में से 187 उत्तरदाता

<sup>24</sup> 535 में से 438 उत्तरदाता

<sup>25</sup> 524 में से 445 उत्तरदाता

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जल संयोजन प्राप्त मकानों में से मानगो और राँची में केवल चार से आठ प्रतिशत घरों में जल मीटर स्थापित किया गया था जबकि श.स्था.नि. धनबाद में प्रतिवेदित है कि शत-प्रतिशत मकानों में जल मीटर स्थापित है। हालाँकि, श.स्था.नि. धनबाद में उपभोक्ता शुल्क की वसूली स्थापित मीटर के अनुसार उपभोग के स्थान पर नियत दर पर की जाती थी एवं इसका कोई कारण अभिलेख में दर्ज नहीं था। इस प्रकार, धनबाद में मीटर का लगाया जाना किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करता था।

यह तथ्य लेखापरीक्षा द्वारा किये गये सर्वेक्षण में भी स्थापित हुआ जिसमें 500 जल आपूर्ति सेवा का उपभोग करने वाले घरों में से 81 प्रतिशत<sup>26</sup> ने जवाब दिया कि पानी का मीटर स्थापित नहीं किया गया और 62 प्रतिशत<sup>27</sup> ने कहा कि पानी का मीटर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था जबकि 86 प्रतिशत<sup>28</sup> ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि नियमित अंतराल पर मीटर पठन नहीं लिया गया था।

इसलिए, मीटर अथवा मीटरीकृत विपत्रों, जहां मीटर स्थापित थे, के अभाव में, जल उपभोग का विपत्र आकलन या तो औसत आधार पर या समान दर पर, जैसा मामला हो, किया गया। यह श.स्था.नि. को अनुश्रवण एवं बेहिसाब जल उपयोग रोकने में बाधित किया परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान हुआ।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिया जाएगा। तथ्य यह है कि 79 प्रतिशत घर जिसमें पाइप जल संयोजन किया गया था में अबतक जल मीटर लगाया जाना बाकी था तथा उनके द्वारा जल का उपयोग सिर्फ अनुमानित था।

#### 4.1.9.4 जल की गुणवत्ता

न.वि. एवं आ.वि. ने सभी श.स्था.नि. एवं पे.ज. एवं स्व.वि. को जल में आर्सेनिक की उपस्थिति के लिए जल की गुणवत्ता जाँच करने का निर्देश दिया (मई 2015) परंतु नमूना जाँचित श.स्था.नि. में से किसी ने भी जल गुणवत्ता जाँच नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेदिनीनगर में, वार्ड संख्या 6 (शिवालाघाट और कसाई मोहल्ला) में स्थित मकानों में अनुपचारित जल की आपूर्ति की जा रही थी। इसके अलावा, नमूना जाँचित श.स्था.नि. के 4.05 लाख (परिशिष्ट-4.1.6) मकान अपने दैनिक जरूरतों के लिए भूजल का इस्तेमाल कर रहे थे। हालाँकि, श.स्था.नि. ने मानव उपभोग के लिए इसकी उपयुक्तता को जाँचने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

इस प्रकार, चयनित श.स्था.नि. आपूर्ति की गई पानी या भूजल की गुणवत्ता का परीक्षण करने में विफल रहे, जो कि अनिवार्य था।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी।

<sup>26</sup> 500 में से 407 उत्तरदाता

<sup>27</sup> 222 में से 137 उत्तरदाता

<sup>28</sup> 469 में से 403 उत्तरदाता

2011-16 के दौरान नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा वसूलनीय ₹ 49.88 करोड़ जल उपभोक्ता शुल्क के विरुद्ध केवल ₹ 12.66 करोड़ वसूल किये जा सके।

#### 4.1.9.5 जल शुल्क की लागत वसूली और वित्तीय स्थिरता

जल के मूल्य निर्धारण में इसका कुशल उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 197(2) के अनुसार, श.स्था.नि. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जल के विभिन्न उपयोगों के लिए जल शुल्क का निर्धारण इस तरह तय किया जाए कि कम से कम इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये संचालन और रखरखाव (ओ.एम.) के न्यूनतम लागत को प्राप्त कर सकें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 10 में से चार श.स्था.नि. ने 2011-16 के दौरान उपभोक्ता शुल्क के रूप में जल के उपभोक्ताओं से ₹ 49.88 करोड़ का माँग किया। इस अवधि के दौरान पे.ज. एवं स्व.वि. ने जलापूर्ति के ओ.एम. लागत पर कुल ₹ 43.99 करोड़ का व्यय किया।

चार नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा 2011-16 के दौरान माँग के विरुद्ध केवल ₹ 12.66 करोड़ (ओ.एम. लागत का 29 प्रतिशत) वसूल किया जा सका **(परिशिष्ट-4.1.7)** क्योंकि कई उपभोक्ताओं ने अपने बकाये का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप उपभोक्ता शुल्क ₹ 37.22 करोड़ की कम वसूली हुई।

पुनः तीन नमूना जाँचित श.स्था.नि. (गढ़वा, मधुपुर और साहिबगंज) ने उपभोक्ता शुल्क लागू नहीं किया जबकि शेष तीन (चास, देवघर और राँची) ओ.एम. लागत, बकाया उपभोक्ता शुल्क तथा उपभोक्ता शुल्क की वसूली का आँकड़ा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि चार नमूना जाँचित श.स्था.नि. (धनबाद, जमशेदपुर, मानगो एवं मेदिनीनगर) ने ओ.एम. लागत के अनुसार उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण नहीं किया था जबकि नमूना जाँचित 10 में से आठ श.स्था.नि. ने (राँची और धनबाद को छोड़कर) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी में दिये गये जलापूर्ति संयोजन का व्यापक डाटाबेस संधारित नहीं किया था। इसके अभाव में जल प्रभार के निर्धारण एवं वसूली के मूल्यांकन की शुद्धता एवं पूर्णता का कोई प्रमाण नहीं था। आगे धनबाद और राँची में, श.स्था.नि. के स्थान पर पे.ज. एवं स्व.वि. द्वारा एच.ई.सी., रेलवे, मेकोन, जेल, आई.एस.एम. आदि में स्थित 12000 मकानों से जल उपभोक्ता शुल्क वसूला जाता था।

इस प्रकार, ओ.एम. लागत के अनुसार बकाया उपभोक्ता शुल्क निर्धारण एवं लागू करने में विफलता के अतिरिक्त बकाया की वसूली में अकुशलता से जलापूर्ति सेवा अपोषणीय था।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि जलापूर्ति परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद जल उपभोक्ता शुल्क को तदनुसार निर्धारित किया जाएगा।

यद्यपि राज्य सरकार ने बकाया उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं किये जाने का कोई कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया।

#### 4.1.9.6 गैर-राजस्व जल

गैर राजस्व जल (एन.आर.डब्ल्यू) वह जल है जो उत्पादन के पश्चात उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का कारण प्रेषण एवं वितरण नेटवर्क में रिसाव, चोरी या अशुद्ध मापन आदि हो सकता है। रिसाव की उच्च घटनाएं अनिर्ंतर जलापूर्ति का कारण है तथा इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा होता है।

श.वि.मं., भा.स. द्वारा विकसित एस.एल.बी. में एन.आर.डब्लू. के लिए 20 प्रतिशत मानदंड निर्धारित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित 10 में से चार श.स्था.नि. (चास, धनबाद, मधुपुर और राँची) में एन.आर.डब्लू. 33 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच था। मानदंड सीमा 20 प्रतिशत से अधिक की जल मात्रा, जिससे कोई राजस्व नहीं आता है, से प्रतिवर्ष ₹ 10.50 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

#### तालिका-4.1.4: गैर राजस्व जल से प्रतिवर्ष राजस्व की हानि

श.स्था.नि. का नाम	जलापूर्ति (एम.एल.डी.)	एन.आर.डब्लू. (एम.एल.डी.)	एन.आर.डब्लू. सीमा (एम.एल.डी.)	एन.आर.डब्लू. सीमा से अधिक (एम.एल.डी.)	(₹ करोड़ में)
					राजस्व का नुकसान <sup>29</sup>
चास	7.70	5.39	1.54	3.85	0.84
धनबाद	118.00	53.10	23.60	29.50	6.46
मधुपुर	4.50	1.49	0.90	0.59	0.13
राँची	70.02	28.01	14.00	14.01	3.07
<b>कुल</b>	<b>200.22</b>	<b>87.99</b>	<b>40.04</b>	<b>47.95</b>	<b>10.50</b>

(स्रोत: पे.ज. एवं स्व.प्र. एवं श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध आँकड़े)

इस प्रकार, मानदंड सीमा के भीतर एन.आर.डब्लू. को बनाये रखने में विफलता, पानी की उपलब्धता तथा मकानों के आच्छादन क्षेत्र को सीमित करने के अलावा जल उपयोगिता के वित्तीय व्यवहार्यता के लिए हानिकारक है।

न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्य स्वीकार किया कि झारखण्ड जल उपभोक्ता शुल्क नीति 2016 में एन.आर.डब्लू. प्रबंधन प्रभावी नहीं बनाया गया था।

#### 4.1.9.7 सरकारी राजस्व का दुरुपयोग

राज्य सरकार ने श.स्था.नि. को निर्देश दिया (मार्च 2015) कि गरीबी रेखा से उपर के परिवारों से जल संयोजन शुल्क के रूप में ₹ 4000 लिए जाएँ और इस प्रकार ली गयी राशि को राज्य सरकार के राजस्व खाते में जमा कर दिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित 10 में से छः श.स्था.नि.<sup>30</sup> में 2015-16 के दौरान जल संयोजन शुल्क के रूप में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों से ₹ 2.12 करोड़ वसूल किये और उन्हें अनियमित रूप से नगरपालिका निधि में ही रखा क्योंकि राज्य सरकार ने उचित राजस्व लेखा शीर्ष उपलब्ध नहीं करवाया। पुनः चार श.स्था.नि. ने वसूल किये गये राशि में से ₹ 91.84 लाख<sup>31</sup> का विचलन हैंडपंपों के मरम्मत, कार्यालय व्यय का भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभांश आदि के भुगतान पर किया।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी। तथ्य यह है कि निधि का अनाधिकृत विचलन का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।

<sup>29</sup> राँ.न.नि. द्वारा भारित न्यूनतम ₹ छः प्रति 1000 लीटर की दर से

<sup>30</sup> चास- ₹ 53.71 लाख, देवघर- ₹ 40.01 लाख, धनबाद-₹ 35.56 लाख, जमशेदपुर अ.क्षे.स.- ₹ 11.77 लाख, मानगो अ.क्षे.स.- ₹ 47.21 लाख और मेदिनीनगर- ₹ 23.37 लाख

<sup>31</sup> चास-₹ 8.60 लाख, देवघर-₹ 43.66 लाख, धनबाद-₹ 23.45 लाख और मेदिनीनगर-₹ 16.13 लाख

#### 4.1.10 स्वच्छता

स्वच्छता एक बुनियादी नागरिक सेवा है जिसके अंतर्गत श.स्था.नि. द्वारा मकानों एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न मल जल को हटाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सेवा माना जाता है क्योंकि साफ-सफाई, स्वच्छता और रोग निवारण के माध्यम से पूरा शहर लाभान्वित होता है। नमूना जाँचित श.स्था.नि. में, स्वच्छता अधिकांशतः खुले और बंद नालों के रूप में उपलब्ध कराया जाता था जिसमें मल जल बहता है और जो मानसून के दौरान वर्षा जल निकासी भी करता है।

##### 4.1.10.1 एस.बी.एम. का क्रियान्वयन

भा.स. ने खुले में शौच को मुक्त करने, मैनुअल स्कॅम्पिंग को समाप्त करने, आधुनिक और वैज्ञानिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू) प्रबंधन प्रणाली इत्यादि को लागू करने के उद्देश्यों से एस.बी.एम. प्रारम्भ (दिसंबर 2014) किया। एस.बी.एम. के छः घटक हैं जिसमें घरेलू शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, ठो.अ.प्र., सूचना, शिक्षा और संचार (सू.शि.सं.) एवं सार्वजनिक जागरूकता और क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय शामिल हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार को राज्य शहरी स्वच्छता रणनीति पर एक संकल्पना नोट प्रस्तुत करने के लिए, श.स्था.नि. को जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर या उनके लिए उपलब्ध किसी हाल के सर्वेक्षण के आधार पर घर-घर सर्वेक्षण किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नमूना जाँचित श.स्था.नि. में से किसी ने भी कोई सर्वेक्षण नहीं किया था परिणामतः राज्य स्वच्छता रणनीति पर अवधारणा नोट तैयार नहीं किया गया। इस प्रकार, 2011 की जनगणना के अनुसार व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका।

हालाँकि, राज्य सरकार ने जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के सभी 41 श.स्था.नि. में 2,79,487 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके विरुद्ध एस.बी.एम. के अंतर्गत केवल 9006 शौचालयों (लक्ष्य का तीन प्रतिशत) का ही निर्माण किया गया था। परिणामस्वरूप, जुलाई 2016 तक 12 प्रतिशत (800 में से 97) वार्डों को ही खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया गया।

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में 2015-17 के लिए निर्धारित 1,27,786 के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 11,611 (नौ प्रतिशत) व्यक्तिगत शौचालय ही पूरा किया जा सका (अगस्त 2016) जबकि 61 प्रतिशत (521 में से 319) वार्ड फरवरी 2017 तक ओ.डी.एफ. बने।

इस प्रकार, परियोजना के क्रियान्वयन की गति धीमी थी जबकि एस.बी.एम. के अंतर्गत स्वच्छता अभियान की प्रस्तावित क्षमता का उपयोग किया जाना शेष था।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि लक्ष्य को सितंबर 2017 तक हासिल कर लिया जाएगा।

##### 4.1.10.2 जल मल निकासी प्रणाली

जनगणना 2011 के अनुसार, झारखंड में शहरी क्षेत्रों के 75 प्रतिशत घर या तो जल निकासी से जुड़े हुए नहीं थे या खुले जल निकासी प्रणाली से जुड़े थे। मल जल के उपचार और निपटान की सुविधा स्थापित करना श.स्था.नि. की प्राथमिक जिम्मेवारी है।



शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि के कारण मल जल का उत्पादन बढ़ता जा रहा था तथापि नमूना जाँचित श.स्था.नि. में मल जल निकासी की सुविधा अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं था जैसा कि नीचे चर्चा किया गया है:

### जल निकासी प्रणाली का अभाव

पाइप युक्त मल जल निकासी प्रणाली के अभाव में, नमूना जाँचित श.स्था.नि. में उत्पन्न अपशिष्ट जल को शोधित और उपयोग नहीं किया जा सका था।

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. के जल निकासी प्रणाली के दिशानिर्देशिका के अनुसार, आपूर्ति किये गये पानी का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल हो जाता है। इस प्रकार नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा 175.09 एम.एल.डी. (आपूर्ति की गयी पानी 218.86 एम.एल.डी. का 80 प्रतिशत) अपशिष्ट जल उत्पन्न किया गया। हालाँकि, इन श.स्था.नि. ने भूमिगत या पाइप युक्त मल जल प्रणाली का निर्माण नहीं किया था जिससे अपशिष्ट जल का शोधन एवं इसका उपयोग सिंचाई क्षेत्र में ताजा पानी की माँग को कम करने के लिये किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि नौ नमूना जाँचित श.स्था.नि. (धनबाद को छोड़कर) में 60 प्रतिशत (939.55 कि.मी. में से 567.12 कि.मी.) नाली बिना ढंके हुए थे। खुले नाली के कारण सिल्ट पदार्थ के अलावा कूड़ा नाली में डाले जाने की समस्या बनी रहती है जबकि नाली की धारा अबाधित रखने के लिए इन पदार्थों को प्रतिदिन हटाया जाना आवश्यक होता है। मल जल निकासी प्रणाली के अभाव में, घरों से उत्पन्न सभी अपशिष्ट जल खुली या बंद नाली के माध्यम से बहते हैं जो नाली वर्षा जल की निकासी में भी व्यवहृत होते हैं।

### कूड़ा से बाधित नाली की स्थिति को दर्शाती निम्न तस्वीर



भुईयांडीह, जमशेदपुर में कूड़ा के कारण जाम खुली नाली



रेलवे स्टेशन, साहिबगंज के निकट नाली में जमा सिल्ट

इस प्रकार, नमूना जाँचित श.स्था.नि. में पर्याप्त जल मल शोधन प्रणाली के अभाव के कारण घरेलू मल जल का निपटान बाधित हुआ।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि मामले की जांच की जाएगी।

### • वि.प.प्र. तैयार करने पर निष्फल व्यय

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत धनबाद और जमशेदपुर अर्बन एग्लोमेरेशन (आदित्यपुर, जमशेदपुर, जुगसलाई और मानगो) के लिए एक परामर्शी के द्वारा मल जल निकासी तंत्र का वि.प.प्र. तैयार किया गया था (2010) जिसके लिए परामर्शी शुल्क के रूप में ₹ 2.91 करोड़<sup>32</sup> भुगतान किया गया था। हालाँकि, वि.प.प्र. को श.वि.मं., भा.स. ने मंजूरी नहीं दी थी क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए भूमि का विस्तृत विवरण न तो श.स्था.नि. और न ही राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

<sup>32</sup> धनबाद - ₹ 1.23 करोड़ और जमशेदपुर अर्बन एग्लोमेरेशन - ₹ 1.68 करोड़

न.वि. एवं आ.वि. ने धनबाद, जमशेदपुर और मानगो अ.क्षे.स. में एकीकृत मल जल एवं वर्षा जल निकास तंत्र के लिए वि.प.प्र. तैयार करने के लिए एक और परामर्शी नियुक्त (सितंबर 2014) किया था।

इस प्रकार, 2010 में पिछले परामर्शी द्वारा तैयार वि.प.प्र. बेकार हो गया क्योंकि भूमि के अभाव में वि.प.प्र. को अंतिम रूप नहीं दिया गया और परामर्शी शुल्क के रूप में भुगतान किया गया ₹ 2.91 करोड़ निष्फल हो गया।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

#### 4.1.10.3 सड़कों और नालियों की सफाई

कम कर्मियों की तैनाती शहर की सफाई को प्रभावित किया

शहर में उत्पन्न कचरे को हटाने के अलावा श.स्था.नि. को शहर के सभी गलियों और नालियों की सफाई नियमित आधार पर करने के लिए उपाय निर्धारित करना है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियंत्रण संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) द्वारा तैयार किये गये ठो.अ.प्र. मैनुअल के अनुसार, एक नाली सफाई करने वाले को प्रति दिन 500 मीटर नाली की सफाई करने का जबकि एक सफाईकर्मी को औसत प्रति दिन 500 मीटर गली की सफाई का काम दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित श.स्था.नि. में से किसी ने भी सफाईकर्मियों के द्वारा सड़क या नाली की लंबाई के अनुसार प्रति दिन झाड़ु/सफाई करने का काम देने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं किया था। यह देखा गया कि 10 चयनित श.स्था.नि. में 1821 कि.मी. सड़क और 918 कि.मी. नाली है जिसकी सफाई के लिए सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मापदंड के अनुसार 5478 सफाईकर्मी की आवश्यकता थी। जिसके विरुद्ध नमूना जाँचित श.स्था.नि. में सड़कों और नालियों की लंबाई के मूल्यांकन किये बिना केवल 2892 (53 प्रतिशत) सफाईकर्मी झाड़ु लगाने, सफाई करने, डिसिल्टिंग आदि कार्य के लिए लगाये गये थे। फलतः सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मापदंड के अनुसार सड़कों और नालियों की नियमित आधार पर सफाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

यह लेखापरीक्षा द्वारा किये गए सर्वेक्षण में भी संपुष्ट हुआ जिसमें 75 प्रतिशत<sup>33</sup> निवासियों ने लेखापरीक्षा को बताया कि वे नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा प्रदान की गई स्वच्छता सुविधाओं से संतुष्ट नहीं थे।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अंतराल को भरे जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

#### 4.1.10.4 अवैध वधशालाओं का कार्यकलाप

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया (मार्च 2014) कि प्रत्येक शहरी क्षेत्र में एक अनुज्ञप्तिधारी वधशाला बनाया जाये तथा नगरपालिका क्षेत्र के वैसे सभी वधशालाओं को बंद किया जाये जिसे चलाने का अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है। अनुपालन में, राज्य सरकार ने श.स्था.नि. को जमीन खरीदने/अधिग्रहण हेतु तथा वधशाला के निर्माण की अनुमानित लागत के बारे में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया (अप्रैल 2014)।

<sup>33</sup> 707 उत्तरदाताओं में 529

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित दस में से छः श.स्था.नि. (धनबाद, मधुपुर, मेदिनीनगर और राँची को छोड़कर) ने वधशाला के निर्माण हेतु वांछित प्रस्ताव नहीं भेजा क्योंकि इन श.स्था.नि. द्वारा इसके लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। अतः इन श.स्था.नि. द्वारा वधशालाओं का निर्माण नहीं कराया गया था। पुनः धनबाद में वधशाला का निर्माण कार्य के लिये निधि रहने के बावजूद भी भूमि के अभाव में कार्य शुरू नहीं किया जा सका था जबकि राँची में वधशाला परियोजना पर ₹ 7.98 करोड़ का व्यय किये जाने के बावजूद तीन वर्षों से अधिक समय से अपूर्ण था। इसी प्रकार, मधुपुर एवं मेदिनीनगर में ₹ 9.27 लाख के लागत से निर्मित वधशाला उनके निर्माण के समय (फरवरी 2002) से ही उपयोग में नहीं थे।

अनुज्ञप्तिधारी वधशाला के अनुपस्थिति में, नगरपालिका क्षेत्र में अवैध वधशाला स्थापित हो गये थे जो खुले में वधशाला के कार्यकलाप अपनाये हुए थे जिससे पर्यावरण प्रदूषण के अलावा गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा हो रहा था।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि सभी श.स्था.नि. ने वधशाला निर्माण का प्रस्ताव जमा कर दिया था।

#### 4.1.10.5 मैनुअल स्कैवेन्जर का पुनर्वास

झा.स. ने वर्ष 2007 में राज्य को मैनुअल स्कैवेन्जर से मुक्त घोषित किया था जबकि, धनबाद नगरपालिका क्षेत्र में 34 मैनुअल स्कैवेन्जर मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। धनबाद श.स्था.नि. ने उनके पुनर्वास के लिए ₹ 1.02 करोड़ की माँग (फरवरी 2015) न.वि. एवं आ.वि. से की थी किन्तु न.वि. एवं आ.वि. द्वारा ₹ 59.32 लाख विमुक्त (मार्च 2015) किये गए जो फरवरी 2017 तक अव्यवहृत था एवं इसका कोई कारण अभिलेख में दर्ज नहीं था।

इसके अलावा, साहिबगंज नगर परिषद ने न.वि. एवं आ.वि. को सूचित किया (जुलाई 2013) कि नगरपालिका क्षेत्र में कोई मैनुअल स्कैवेन्जर नहीं थे। जबकि, राज्य सरकार ने स्वतः छह मैनुअल स्कैवेन्जर के पुनर्वास के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 3.95 लाख आवंटित किया था, जिसे अनियमित रूप से नगरपालिका के सफाई कर्मियों के क्वार्टर के जीर्णोधार पर खर्च कर दिया गया।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

#### 4.1.10.6 सफाई उपकरणों का बिना उपयोग के पड़ा रहना

संवीक्षा में पता चला कि श.स्था.नि. द्वारा खरीदे गये निम्नलिखित सफाई उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा था:

- मेदिनीनगर में वर्ष 2009-10 में ₹ 7.70 लाख में खरीदा गया नाली सफाई यन्त्र खरीद के बाद से ही निष्क्रिय पड़ा हुआ था। पूछे जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि मजदूर द्वारा की जाने वाली नाली की सफाई, नाली सफाई यन्त्र से की जाने वाली सफाई से अधिक सुविधाजनक थी। इस प्रकार, श.स्था.नि. ने इसकी आवश्यकता का आकलन किए बिना ही सफाई यन्त्र खरीदा था।

- श.स्था.नि. मधुपुर और मेदिनीनगर द्वारा ₹ 9.60 लाख<sup>34</sup> में खरीदा गया (जनवरी 2004 और अप्रैल 2007 के बीच) फोगिंग मशीन क्रमशः मई 2013 और अप्रैल 2015 तक मशीन के लिए रासायनिक तेल खरीद हेतु निधि की कमी के कारण निष्क्रिय था।

#### 4.1.10.7 स्वच्छता के लिये निधि का उपयोग

- मेदिनीनगर में न.वि. एवं आ.वि. के द्वारा मल जल निकासी प्रणाली के निर्माण के लिए विमुक्त (मार्च 2002) की गई राशि ₹ 3.42 करोड़ नगर परिषद, मेदिनीनगर द्वारा 12 वर्षों तक निधि का उपयोग करने में असफल रहने के कारण वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्देश पर वापस कर दिया गया (मार्च 2014)। ऐसा इस आधार पर किया गया कि उपायुक्त, मेदिनीनगर ने परामर्शी, जिसने कार्य का स्वीकृत राशि से दस गुणा अधिक परियोजना लागत का डी.पी.आर. समर्पित किया था, को परामर्शी शुल्क (₹ 4.97 लाख) का भुगतान करने से मना कर दिया।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा सुधारात्मक उपाय किए जाने का आश्वासन दिया।

- पाँच<sup>35</sup> नमूना जाँचित श.स्था.नि. में 2003 और 2015 के मध्य राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक शौचालय एवं वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण के लिए ₹ 39.83 करोड़ विमुक्त किया गया था।

यद्यपि मार्च 2016 तक कुल राशि का केवल 60 प्रतिशत (₹ 23.90 करोड़) ही लक्षित 3509 वैयक्तिक एवं 118 सामुदायिक शौचालय निर्माण के विरुद्ध 3306 वैयक्तिक तथा 96 सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर उपयोग किया गया तथा ₹ 15.93 करोड़ अव्यवहृत था। पुनः श.स्था.नि. राँची एवं धनबाद ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान सामुदायिक एवं वैयक्तिक शौचालय का निर्माण कार्य नहीं किया, जिसका कोई कारण अभिलेख में दर्ज नहीं था।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा कि मामले की जाँच की जाएगी तथा श.स्था.नि. को शौचालय को यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा जाएगा।

#### 4.1.10.8 अन्य अनियमितताएँ

##### वार्ड पार्षदों को अनियमित अग्रिम

राज्य ने वार्ड पार्षदों को, अपने वार्डों में किसी भी योजना को पूर्ण करने के लिए, निधियों के आवंटन को निषिद्ध किया था (अक्टूबर 2012)। इसके विपरीत, चास नगर निगम ने 2012-16 के दौरान वार्ड पार्षदों को अग्रिम के रूप में ₹ 1.89 करोड़ की राशि उनके वार्डों में स्वच्छता कार्यों के निष्पादन के लिए दी थी। हालाँकि, अग्रिमों के विरुद्ध समायोजन वाउचर वार्ड पार्षदों द्वारा जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.89 करोड़ मूल्य के अग्रिम असमायोजित थे (फरवरी 2017)।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी।

<sup>34</sup> मधुपुर-₹ 4.80 लाख और मेदिनीनगर-₹ 4.80 लाख

<sup>35</sup> देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, मानगो एवं राँची

## गैर सरकारी संस्था (एन.जी.ओ.) को अनियमित अग्रिम

धनबाद नगर निगम ने राजीव आवास योजना के अधीन ₹ 87.65 करोड़ की लागत से 1983 इकाई सेप्टिक टैंकों के निर्माण का काम एक एन.जी.ओ.<sup>36</sup> को आवंटित किया था (अक्टूबर 2014)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर आयुक्त ने ₹ 2.65 करोड़ के निष्पादित कार्य के विरुद्ध ₹ 5.50 करोड़ का भुगतान किया था तथा अंतर राशि ₹ 2.85 करोड़ को अग्रिम मान लिया जो अगस्त 2014 से असमायोजित था (फरवरी 2017) क्योंकि संवेदक द्वारा मार्च 2015 के बाद कोई कार्य संपादित नहीं किया गया था।

इस प्रकार किये गये कार्य से अधिक भुगतान की राशि ₹ 2.85 करोड़ की वसूली नहीं की गई थी।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी।

## मोबिलाइजेशन अग्रिम का अधिक भुगतान

झारखंड नगरपालिका लेखा नियमावली, 2012 का पैरा 4.8.6 (एच), पाँच प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान का प्रावधान करता है। इसके विरुद्ध राँ.न.नि. ने ₹ 359.25 करोड़ का राँची में मल जल निकासी प्रणाली के निर्माण का काम के लिए एक एजेंसी से एकरारनामा किया जिसमें 15 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राँ.न.नि. ने ₹ 17.96 करोड़ की स्वीकार्य राशि के विरुद्ध ₹ 53.89 करोड़<sup>37</sup> (₹ 359.25 करोड़ का 15 प्रतिशत) मोबिलाइजेशन अग्रिम एजेंसी को दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35.93 करोड़ अधिक मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया, जिस पर फरवरी 2017 तक ₹ 1.73 करोड़ (परिशिष्ट-4.1.8) का चार प्रतिशत प्रतिवर्ष बचत बैंक दर से गणना की गयी ब्याज का अनुचित लाभ दिया गया।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी।

### 4.1.11 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठो.अ.प्र., श.स्था.नि. द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी नागरिक सेवा है जो सुनिश्चित करता है कि उत्पन्न अपशिष्ट एकत्र की जाती है और उसका निपटान सही तरह से किया जाता है। इसका प्रावधान (जैसे स्वच्छता) न केवल व्यक्तिगत मकान को बल्कि पूरे शहर को सफाई, स्वच्छता और रोग की रोकथाम के माध्यम से लाभ पहुँचाता है।

#### 4.1.11.1 ठो.अ.प्र. का क्रियान्वयन

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) (एम.एस.डब्लू.) नियम, 2000, एम.एस.डब्लू. को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह, संग्रहण, अलगाव, परिवहन, प्रसंस्करण

<sup>36</sup> आदर्श ग्राम विकास संस्थान, मुरही

<sup>37</sup> ₹ 18.00 करोड़ 15 अक्टूबर 2015 को, ₹ 18.00 करोड़ 4 दिसंबर 2015 को और ₹ 17.89 करोड़ 31 दिसंबर 2015 को

और निपटान हेतु बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2003 निर्धारित करता है।

किसी भी नमूना जाँचित श.स्था.नि. ने ठो.अ.प्र. परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर क्रियान्वित नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि नमूना जाँचित श.स्था.नि. समय सीमा को प्राप्त करने में विफल रहे। नमूना जाँचित चार श.स्था.नि.<sup>38</sup> में, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत ₹ 146.29 करोड़ से शुरू किया गया ठो.अ.प्र. परियोजनाओं को प्रसंस्करण निर्माण और कचरे के निपटान के लिये भूमि के अभाव के कारण ₹ 28.47 करोड़ का व्यय किये जाने के बाद मध्य में ही रोक दिया गया था। शेष नमूना जाँचित छः श.स्था.नि. में ठो.अ.प्र. के परियोजनाओं को शुरू करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि ठो.अ.प्र. के लिये वि.प.प्र. तैयार किया जा रहा था।

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में ठो.अ.प्र. के क्रियान्वयन की स्थिति **परिशिष्ट-4.1.9** में संक्षिप्त किया गया है।

इसके अलावे राँची और धनबाद के ठो.अ.प्र. सेवाएं प्रदान करने में विफल होने के प्रभाव के विश्लेषण की चर्चा नीचे की गयी है:

#### **राँची और धनबाद नगर निगम द्वारा ठो.अ.प्र.सेवायें**

राँची और धनबाद में ठो.अ.प्र. सेवाएं प्रदान करने का काम एक एजेंसी को दिया गया था तथा उपचार और निपटान सुविधाओं का कार्य, अनुबंध की तिथि से क्रमशः 365 और 300 दिनों में पूर्ण करने के लिये रियायत प्राप्तकर्ता से एकरारनामा (जून 2011 और फरवरी 2012) किया गया था।

इस संबंध में राँची नगर निगम के ठो.अ.प्र. अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित किया गया था और निष्कर्ष को वर्ष 2012-13 के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। प्रतिवेदन के निष्कर्षों में कई अनियमितताओं को बताया गया था लेकिन फरवरी 2017 तक नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी थी (**परिशिष्ट-4.1.10**)।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि मामले की जाँच की जायेगी।

रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्रदान करने के मामले में अन्य अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गयी है:

#### **रियायत प्राप्तकर्ता की असफलता**

- i) सभी मकानों से घर-घर कचरा-संग्रहण सेवा मुहैया नहीं किया गया था;
- ii) सफाई के लिये कम संख्या में वाहनों और मानव बल तैनात किया गया था;
- iii) आवश्यक संख्या में कूड़ादान स्थापित/वितरित नहीं किया गया था;

<sup>38</sup> चास, धनबाद, जमशेदपुर और राँची



iv) एजेंसी द्वारा स्वच्छता कार्य ठीक तरह से नहीं किया जा रहा था क्योंकि राँ.न.नि. के द्वारा हमेशा अपने ही सफाई कर्मी और वाहनों को शहर के विभिन्न भागों से कचरा उठाने के लिए तैनात किया गया था।

v) रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा धनबाद में उपभोक्ता शुल्क ₹ 2.90 करोड़ संग्रहित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मकानों और अन्य वाणिज्यक प्रतिष्ठानों को अनिवार्य सेवाएं, सेवाओं की अवधि के दौरान (जून 2011 से जून 2014) प्रदान करने में विफल रहने के बावजूद श.स्था.नि. द्वारा सेवा प्रदाता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। हालाँकि, राँ.न.नि. और ध.न.नि. द्वारा अनुबंध को विखंडित (जनवरी 2014 और जून 2014) कर दिया गया था।

### राँची और धनबाद नगर निगम की असफलता

i) रियायत प्राप्तकर्ता ने धनबाद में नवंबर 2013 में 30 दिनों के लिए एम.एस.डब्ल्यू नहीं उठाया था जिसके लिये ध.न.नि. द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया;

ii) दोनों श.स्था.नि., कचरा प्रसंस्करण करने में असफल रहने के कारण जुर्माना लगाने में विफल रहे;

iii) ध.न.नि. ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत ठो.अ.प्र. के कार्यान्वयन के लिए विमुक्त अनुदान में से ₹ 2.60 करोड़ का विचलन टिपिंग/पेशा शुल्क के भुगतान पर कर दिया जबकि इसे रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा वसूले गये उपभोक्ता शुल्क से भुगतान किया जाना था;

iv) राँ.न.नि. ने रियायत प्राप्तकर्ता को भुगतान की गयी राशि ₹ 2.63 करोड़ जो लैंडफिल स्थल पर उपचार और निपटान संयंत्र की स्थापना के लिए किया गया था, की वसूली में विफल रहा जबकि रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया गया था;

v) ध.न.नि. ने रियायत प्राप्तकर्ता को ₹ 66.84 लाख का टिपिंग शुल्क का भुगतान (अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013) धर्मकांटा आंकड़ा का सत्यापन किये बिना कर दिया;

vi) दोनों श.स्था.नि. ने कार्यक्रम निगरानी तंत्र स्थापित नहीं किया था जिससे परियोजना की निगरानी की जा सकती थी; और

vii) फर्म द्वारा धनबाद के लिए ₹ 4.75 करोड़ की लागत से खरीदे गये स्वच्छता वाहन (फरवरी 2013) श.स्था.नि. को स्थानांतरित नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।



**कचरे निपटाने वाले वाहन बस स्टैंड, बरटांड, धनबाद में अप्रयुक्त पड़े हुए थे**

इसके अलावा, राँची में, ठो.अ.प्र. के तहत कचरे के निपटान के लिये, ईट बनाने, खाद बनाने आदि के लिये प्रसंस्करण संयंत्र के निर्माण के लिये ₹ 20.22 करोड़ की राशि में से ₹ 2.63 करोड़ रियायत प्राप्तकर्ता को भुगतान किया गया था। हालाँकि, प्रसंस्करण

संयंत्र का निर्माण नहीं किया गया था और अनुबंध को विखंडित (जनवरी 2014) कर दिया गया था। बाद में, राँ.न.नि. ने अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया करने के लिए दूसरे रियायत प्राप्तकर्ता को नियुक्त (अक्टूबर 2015) किया। इस प्रकार, पहले रियायत प्राप्तकर्ता को भुगतान किया गया ₹ 2.63 करोड़ की वसूली नहीं किये जाने के कारण राँ.न.नि. को नुकसान हुआ।

इसी प्रकार, एजेंसी के द्वारा ठीक से काम नहीं किये जाने और राँ.न.नि. और ध.न.नि. के द्वारा ससमय हस्तक्षेप की कमी, अनुबंध को समाप्त करने का कारण बना। इसके कारण, श.स्था.नि. को कचरे का संग्रहण और परिवहन का कार्य स्वयं करना आवश्यक हो गया।

आगे, नमूना जाँचित सभी श.स्था.नि. में किया गया सर्वेक्षण में 71 प्रतिशत<sup>39</sup> निवासियों ने कहा कि घर-घर कचड़े को संग्रह नहीं किया जाता था और केवल 11 प्रतिशत<sup>40</sup> निवासियों ने कहा कि कुड़ा दान रोज साफ किया जाता था।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

#### 4.1.11.2 उत्पन्न अपशिष्ट का आकलन

ठो.अ.प्र. नियमावली के अनुसार सभी उत्पन्न ठो.अ.प्र. को संग्रहित किया जाएगा तथा कोई भी कचड़ा बिना संग्रहण के नहीं छोड़ा जायेगा जो लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए जोखिम का कारण हो। इसके अतिरिक्त, सभी श.स्था.नि. को उत्पन्न ठोस कचड़े की मात्रा एवं संयोजन की वार्षिक विवरणी सम्बंधित जिला समाहर्ता को भेजना है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि कोई भी नमूना जाँचित श.स्था.नि. ने उत्पन्न एवं संगृहीत कचड़े की मात्रा एवं संयोजन का अभिलेख संधारित नहीं किया था। इस प्रकार, उत्पन्न कचड़े का आकलन नहीं किया गया था। हालाँकि, श.स्था.नि. ने लेखापरीक्षा को उत्पन्न कचड़े की मात्रा एवं संयोजन का सिर्फ अनुमानित आंकड़ा प्रस्तुत किया था। उत्पन्न कचड़े के विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा ने भारतीय शहरी आधारभूत संरचना एवं सेवा, 2011 के अध्ययन रिपोर्ट को अपनाया। 2015-16 के लिए श.स्था.नि. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े तथा अध्ययन रिपोर्ट पर आधारित आंकड़ों के बीच के अंतर को परिशिष्ट-4.1.11 में दर्शाया गया है।

यह भी पाया गया कि गढ़वा, मधुपुर तथा मेदिनीनगर नगरपालिका क्षेत्र में उत्पन्न कचड़े को सम्बंधित श.स्था.नि. द्वारा संग्रहित कर उठाया गया था। शेष श.स्था.नि. में वाहनों, मानव बल की कमी तथा ठो.अ.प्र. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में असफलता के कारण कचड़े के संग्रहण की मात्रा 39 से 90 प्रतिशत के बीच रही। असंग्रहित कचड़ा लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए जोखिम भरा होता है।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि श.स्था.नि. को कचरे का डाटाबेस तैयार करने हेतु निदेशित किया जाएगा।

<sup>39</sup> 741 में से 523 उत्तरदाताओं

<sup>40</sup> 489 उत्तरदाताओं में से 53

### 4.1.11.3 अपशिष्ट का पृथक्करण एवं भण्डारण

एम.एस.डब्ल्यू. नियमावली 2000 के अनुसार, एम.एस.डब्ल्यू. को दैनिक आधार पर घर-घर से संग्रहण किया जाना चाहिए तथा स्रोत पर ही मकान तथा संग्रहण केंद्र स्तर पर स्वाभाविक रूप से जैव-निम्नीकरणीय कचरे, पुनः चक्रित कचरे, अति-हानिकारक कचरे को अलग रंगीन कूड़ेदानों का उपयोग कर अलग कर लिया जाना चाहिए। ऐसे स्थानों पर अपशिष्ट का उत्प्रवाह रोकने हेतु कम से कम दुगुनी क्षमता वाले कूड़ेदान/कूड़ेदानों को रखना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि नमूना जाँचित दस में से आठ श.स्था.नि. (धनबाद एवं राँची को छोड़कर जहाँ अप्रैल 2011 से फरवरी 2014 तक घर-घर संग्रहण लागू किया गया था) में ठो.अ.प्र. परियोजना लागू नहीं किये जाने के कारण घर-घर संग्रहण की कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, खुले स्थानों पर, सड़कों के किनारे तथा नालियों में कचड़े बिखरे पड़े थे। गलियों की सफाई के दौरान संगृहीत मिश्रित कचड़े का भी सड़कों के किनारे ढेर लगाया जा रहा था तथा इन्हें आवारा पशुओं तथा कचड़ा बिनने वालों के द्वारा बिखेर दिए जाने के कारण अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न हो रही थी।

स्पष्ट है कि कचड़े का सही ढंग से भंडारण नहीं किया जा रहा था जो दैनिक आधार पर कूड़ेदान की सफाई नहीं किये जाने के कारण पुनः बढ़ते जा रहा था। इसकी पुष्टि हमारे सर्वेक्षण द्वारा भी हुई जिसमें 89 प्रतिशत<sup>41</sup> निवासियों ने कहा कि सामुदायिक कूड़ेदान को एक दिन से अधिक के अंतराल पर साफ किया जाता था।

इसके अतिरिक्त, ठो.अ.प्र. मैनुअल के अनुसार, दो कूड़ेदान के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, हमारे सर्वेक्षण में 27 प्रतिशत<sup>42</sup> लोगों ने यह शिकायत किया कि दो कूड़ेदान के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक थी तथा 53 प्रतिशत<sup>43</sup> लोग कचड़े को सड़क के किनारे फेंकते थे।

लेखापरीक्षा ने चयनित श.स्था.नि. के स्थलों का भौतिक सत्यापन भी किया तथा यह पाया कि बहुत स्थानों पर एम.एस.डब्ल्यू. को खुले स्थानों में सड़कों के किनारे जमा किया जाता था तथा इन्हें खुले स्थानों पर जलाया जाता था जैसा कि नीचे फोटो में दर्शाया गया है:



लालपुर, राँची में कूड़ेदान से बाहर बिखरे कचड़े



पेड़ा गली, देवघर में सड़क के किनारे खुले स्थान पर रखा कचड़ा



मस्जिद चौक, देवघर के समीप सड़क के किनारे जलाया जा रहा कचड़ा

ज्ञान. अधिनियम, 2011 की धारा 259 के अनुसार जो कोई भी, किसी गली या सार्वजनिक स्थान पर ठोस कचड़े अथवा भवन का मलबा फेंकता/जमा करता है या

<sup>41</sup> 489 उत्तरदाताओं में से 436

<sup>42</sup> 347 उत्तरदाताओं में से 94

<sup>43</sup> 708 उत्तरदाताओं में से 375

इसे फेंकने अथवा जमा करने की अनुमति देता है उसे उसी स्थान पर जुर्माना लगा कर दंडित किया जाना चाहिए। पूछे जाने पर सभी नमूना जाँचित श.स्था.नि. (राँची छोड़कर) ने सूचित किया कि अधिनियम के इन प्रावधानों को लागू करने के लिए उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

#### 4.1.11.4 खुले वाहन के माध्यम से कचरे का परिवहन

एम.एस.डबल्यू. नियमावली (अनुसूची II) नगरपालिका द्वारा एम.एस.डबल्यू. को प्रसंस्करण/निपटान हेतु स्वास्थ्यकर तरीके से परिवहन सुनिश्चित करने हेतु निर्दिष्ट करता है ताकि कचरे सड़क पर इधर-उधर न बिखरे।



देवघर में न.ठो.अ. का खुली वाहन में परिवहन

नमूना जाँचित दस में से सात श.स्था.नि. (धनबाद, मानगो और राँची को छोड़कर) ने कहा कि एम.एस.डबल्यू. के निपटान के लिए प्रयुक्त वाहनों को परिवहन के दौरान कभी ढका नहीं गया था। इस प्रकार, खुले वाहनों का उपयोग कचरे का विखराव का कारण बना और निपटान के लिए सही तरीके से गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचा।

#### 4.1.11.5 अवैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट का निपटान

लैंडफिलिंग, अवशेष ठोस कचरे को उस भूमि पर निपटान करने की प्रक्रिया है जिसे भूमिगत जल, सतह जल, अस्थाई धूल तथा दुर्गन्ध आदि के प्रदूषण से मुक्त सुरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन किया गया हो। कोई लैंडफिल एक नाव्य नदी या झरने के 100 मीटर के भीतर स्थित नहीं होना चाहिए और अधिसूचित निवास क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी नमूना जाँचित श.स्था.नि. में (राँची को छोड़कर) कोई लैंडफिल साइट उपलब्ध नहीं था। कचरे को आवासीय क्षेत्रों के नजदीक के साथ-साथ नदी के किनारे या उसके सतह पर डंप कर दिया जाता था जैसा कि नीचे फोटो में दर्शाया गया है।

#### डंपिंग यार्ड का दृश्य



धनबाद में खुला लैंडफिल स्थल



साहिबगंज में नदी के बगल में डंप एम.एस.डबल्यू.



मेदिनीनगर में नदी के बगल में डंप एम.एस.डबल्यू.

इस प्रकार, कचरे का निपटान अवैज्ञानिक और अस्वास्थ्यकर तरीके से खुले में या नदी के किनारे किया जा रहा था जो अस्वच्छ स्थिति तथा प्रदूषण का कारण था।

#### 4.1.11.6 जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का अनुचित निपटान

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (बी.एम.डबल्यू.) में संक्रामक जैविक और पैथोलॉजिकल जाँच से संबंधी कचरे, सुईयाँ और अन्य तेज उपकरण, उपचार के द्वारा उत्पन्न परित्यक्त तथा विषैले दवाएं शामिल रहती हैं जो मानवों और जानवरों के निदान, उपचार, प्रतिरक्षण या अनुसन्धान गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होता है।



नगर निगम कार्यालय, देवघर के समीप जैव चिकित्सीय अपशिष्ट

अस्पतालों, नर्सिंग होम, पशु चिकित्सा संस्थानों, पशु घरों, क्लिनिकल प्रयोगशालाओं इत्यादि में उत्पन्न जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान बी.एम.डबल्यू. (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियमावली, 1998 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

नमूना जाँचित दस में से पाँच<sup>44</sup> श.स्था.नि. ने लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित किया कि अनुपचारित बी.एम.डबल्यू. को एम.एस.डबल्यू. के साथ बिना समुचित उपचार के मिश्रित कर दिया जाता था जबकि शेष पाँच नमूना जाँचित श.स्था.नि. (चास, जमशेदपुर, मानगो, राँची और साहिबगंज) ने सूचित किया कि अस्पतालों और क्लीनिकों द्वारा उत्पन्न कचरे को भस्मक या प्रयोगशाला के माध्यम से निपटान किया जाता था तथा उसे एम.एस.डबल्यू. के साथ नहीं मिलाया जाता था।

इस प्रकार, पाँच श.स्था.नि. के द्वारा बी.एम.डबल्यू. का निपटान बी.एम.डबल्यू. नियमावली, 1998 का उल्लंघन कर किया गया था जिसके कारण स्वास्थ्यकर्मियों, अपशिष्ट श्रमिकों और संस्थानों के कर्मियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

निकास सम्मेलन (दो मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा कि ठो.अ.प्र. परियोजनाओं के लागू हो जाने के बाद समस्याओं को सुलझा लिया जायेगा।

#### 4.1.12 मानव संसाधन एवं वाहनों की कमी

एक संगठन का प्रदर्शन और परिणामी उत्पादकता मानव संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा के समानुपातिक होती है। कर्मचारियों की कमी एक संगठन के काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

##### मानव संसाधन

राज्य सरकार ने प्रत्येक श.स्था.नि. में सार्वजनिक स्वास्थ्य विंग तथा धनबाद और राँची में जल बोर्ड निर्माण के लिए एक संकल्प पारित किया (मई 2010) था। हालाँकि, चयनित दस में से आठ श.स्था.नि. में (धनबाद और जमशेदपुर को छोड़कर) स्वच्छता विंग के पर्यवेक्षी संवर्ग और सफाई संवर्ग में कर्मचारियों की कमी 21 से 90 प्रतिशत तक थी, जो शहरों की सफाई के पर्यवेक्षण को प्रभावित करती थी (परिशिष्ट-4.1.12)। इसके अलावा, धनबाद में न जल बोर्ड बनाया गया था और न ही किसी कर्मचारी को जलापूर्ति तंत्र के लिए पदस्थापित किया गया था। साथ ही, सात

<sup>44</sup> देवघर, धनबाद, गढ़वा, मधुपुर और मेदिनीनगर



श.स्था.नि. (चास, देवघर और राँची को छोड़कर) में तकनीकी/सहायक कर्मों जलापूर्ति तंत्र के लिए उपलब्ध नहीं थे।

न.वि. और आ.वि. के पारित (जुलाई 2012) एक संकल्प के अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव (ओ.एम.) के लिए पे.ज. एवं स्व.वि. के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण श.स्था.नि. को हस्तांतरण किया जाना था। हालाँकि, पे.ज. एवं स्व.वि. में अपने कार्यकलापों तथा कार्य हेतु कर्मियों की कमी के कारण चास और देवघर को छोड़कर पे.ज. एवं स्व.वि. ने अधिकारियों/कर्मचारियों का हस्तांतरण फरवरी 2017 तक श.स्था.नि. को नहीं किया था। परिणामस्वरूप, नमूना जाँच किये गये श.स्था.नि. का कार्य केवल नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों के लिए जल संयोजन प्रदान करने तक ही सीमित था।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 अधिसूचित किया (जुलाई 2014) था। लेकिन अधिसूचना जारी करने के दो वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी श.स्था.नि. के विभिन्न पदों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। हालाँकि, न.वि. एवं आ.वि. ने विभिन्न श.स्था.नि. में आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यकता का पता लगाने और पदों का सृजन करने के लिए एक समिति का गठन (मार्च 2016) किया था। निष्कर्ष प्रतीक्षित है (फरवरी 2017)।

निकास बैठक (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. और आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि पे.ज. एवं स्व.वि. में कर्मचारियों की कमी और श.स्था.नि. के पास पे.ज. एवं स्व.वि. के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों के भुगतान के लिए निधि के अभाव के कारण श.स्था.नि. में कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया गया था।

### वाहन

कचरा निपटान वाहन ठो.अ.प्र. सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित श.स्था.नि. के पास ठो.अ.प्र. मैनुअल द्वारा निर्धारित **(परिशिष्ट-4.1.13)** आवश्यकता का केवल 0.43 प्रतिशत से 5.8 प्रतिशत वाहन थे। इस प्रकार, वाहनों की कमी श.स्था.नि. को अपने कार्यों का निष्पादन नहीं करने दे रहा था। इसकी पुष्टि लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के दौरान हुई जिसमें 78 प्रतिशत<sup>45</sup> निवासी कचरे के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों की स्थिति से खुश नहीं थे।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी।

### 4.1.13 नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर नागरिकों और सेवा प्रदाता के बीच सेवा की प्रकृति के बारे में समझ कि सेवा प्रदाता सेवा देने के लिए बाध्य है और उपभोक्ता के लिए विकल्प उपलब्ध हैं, की एक अभिव्यक्ति है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक चार्टर का प्रदर्शन में सुधार के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और सेवा

<sup>45</sup> 530 उत्तरदाताओं में से 411



प्रदाता की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, इसका प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली के प्रावधान के साथ होना जरूरी है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि किसी भी नमूना जाँचित श.स्था.नि. में नागरिक चार्टर लागू नहीं किया गया था जबकि दस में से आठ श.स्था.नि. (मानगो और राँची के अलावे) में शिकायत निवारण प्रणाली का व्यवस्था नहीं किया गया था। आगे, पाया गया कि नमूना जाँच किये गये श.स्था.नि. द्वारा अपेक्षित शिकायत पंजी नहीं बनाया गया था जबकि न.वि. एवं आ.वि. ने विभागीय स्तर पर (मई 2016) नागरिक चार्टर तैयार करना अधिसूचित किया था।

इसके अलावा लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वेक्षण में, 51 प्रतिशत<sup>46</sup> निवासियों ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि सात दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद जल आपूर्ति के लिए उनकी शिकायतों का निवारण किया गया जबकि 22 प्रतिशत<sup>47</sup> ने कहा कि उनकी शिकायतों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

निकास सम्मेलन (2 मार्च 2017) में संयुक्त सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने कहा कि राज्य स्तर पर नागरिक चार्टर 2016 में अधिसूचित किया गया है और शिकायत निवारण प्रणाली श.स्था नि. स्तर पर तैयार की गयी है।

#### 4.1.14 निष्कर्ष

श.वि.मं., भा.स. द्वारा जलापूर्ति, ठो.अ.प्र. तथा मल जल हेतु बनाये गये एस.एल.बी. को नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि चार नमूना जाँचित श.स्था.नि. के चार जलापूर्ति परियोजनाओं पर ₹ 583.47 करोड़ व्यय करने के बावजूद भी 306 एम.एल.डी. क्षमता का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका था जबकि ₹ 146.29 करोड़ की ठो.अ.प्र. परियोजनाएँ ₹ 28.47 करोड़ व्यय करने के बाद बीच में ही बंद हो गयीं। इसके अतिरिक्त, कोई भी नमूना जाँचित श.स्था.नि. ने मल जल निकासी नेटवर्क का निर्माण नहीं किया जबकि नमूना जाँचित दस में से नौ श.स्था.नि. में 60 प्रतिशत नालियां खुली हुई थीं तथा कचड़े से घिरी हुई थीं।

अपूर्ण जलापूर्ति परियोजनाओं से नगरपालिका क्षेत्र के कम से कम 22.67 लाख निवासियों को जलापूर्ति प्रभावित हुई। नमूना जाँचित श.स्था.नि. में मात्र 29 प्रतिशत मकानों में जलापूर्ति पाइप की पहुँच थी जबकि जलापूर्ति में कमी आवश्यकता से नौ से 99 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त नमूना जाँचित 10 में से सात श.स्था.नि. में प्रति व्यक्ति जलापूर्ति मानक 135 एल.पी.सी.डी. के विरुद्ध 10 से 110 एल.पी.सी.डी. के बीच था जबकि 10 में से सात नमूना जाँचित श.स्था.नि. ने घरेलू जल संयोजन के लिए मीटर स्थापित नहीं किया था।

चार नमूना जाँचित श.स्था.नि. जल उपभोक्ताओं से बकाया जल उपभोक्ता शुल्क ₹ 37.22 करोड़ की वसूली करने में असफल रहे जिसके कारण संचालन एवं रखरखाव लागत का सिर्फ 29 प्रतिशत ही जल उपभोक्ता शुल्क से पूरा किया जा सका जबकि इसे पूरा करना अनिवार्य था। राज्य सरकार को गैर राजस्व जल में बीस प्रतिशत के मानदण्ड सीमा के विरुद्ध ₹ 10.50 करोड़ की क्षति हुई।

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में शौचालय की सुविधा 100 प्रतिशत मानदण्ड के विरुद्ध 23 प्रतिशत से 72 प्रतिशत मकानों तक सीमित थी जबकि नमूना जाँचित 10 में से आठ

<sup>46</sup> 306 उत्तरदाताओं में से 155

<sup>47</sup> 306 उत्तरदाताओं में से 66

श.स्था.नि. में स्थित मकान ठो.अ.प्र. सेवाओं से आच्छादित नहीं थी। छः चयनित श.स्था.नि. में अपशिष्ट के संग्रह का कवरेज 39 तथा 90 प्रतिशत के बीच था। किसी भी नमूना जाँचित श.स्था.नि. (राँची को छोड़कर) में लैंडफिल स्थल उपलब्ध नहीं था। अपशिष्ट को रिहायशी इलाकों के नजदीक तथा नदी के किनारे फेंक दिया जाता था।

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में पर्यवेक्षी/सफाइकर्मि संवर्ग में 90 प्रतिशत तक की मानव बल की कमी तथा अपशिष्ट निपटान वाहनों में 94 प्रतिशत तक की कमी ने शहरों की सफाई को प्रभावित किया तथा निवासियों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न किया।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँचित 10 श.स्था.नि. सेवा नेटवर्क के अंदर रहने वाले 741 मकानों में किये गये सर्वेक्षण में 91 प्रतिशत निवासियों ने उत्तर दिया कि नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा दिया गया जलापूर्ति सुविधा संतोषजनक नहीं था और 85 प्रतिशत निवासियों ने कहा कि गर्मी के मौसम में पर्याप्त जलापूर्ति नहीं की जाती है। स्वच्छता सुविधा के संबंध में 75 प्रतिशत निवासी नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा दिये जा रहे सेवा से संतुष्ट नहीं थे। इसी प्रकार ठो.अ.प्र. सेवा के अंतर्गत 71 प्रतिशत निवासियों ने कहा कि घर-घर कचरे का संग्रहण नहीं किया जाता था जबकि 78 प्रतिशत निवासियों ने कहा कि वे कूड़ा उठाने वाले वाहनों के इस्तेमाल की स्थिति से संतुष्ट नहीं थे।

#### 4.1.15 सिफारिशें

राज्य सरकार को श.वि.मं., भा.स. द्वारा निर्धारित एस.एल.बी. के अनुसार जलापूर्ति, ठो.अ.प्र., मल जल निकासी की माँग को पूरा करने के लिए श.स्था.नि. को संवेदनशील बनाना चाहिए। एस.एल.बी. को प्राप्त करने के लिए लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में सरकार को सम्बंधित बाधाओं को दूर करने में सहायता करनी चाहिए।

राज्य सरकार को श.स्था.नि. के बीच अच्छी प्रथाओं को लागू करना चाहिए जैसे हर महीने मीटर रीडिंग रिकॉर्ड करना, समय पर माँग पत्र जारी करना, मानव संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए बकाया राशि का संग्रह करने के लिए ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देना इत्यादि। उपयोगकर्ताओं को माँग पत्र जारी करके एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी बकाया राशि एकत्र करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

लैंडफिलिंग के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए और जिन लोगों के द्वारा आवासीय क्षेत्रों या नदी तरफ कचरा डंप किया जाता है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

शहरों द्वारा उत्पन्न सभी कूड़े की सफाई और उठाने के लिए पर्याप्त मानव बल और वाहनों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।